केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–432)

पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित 'निर्मल घाट योजना' का मूल्यांकन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	**i - vii**
प्रथम	अध्ययन परिचय	1–5
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	6–14
तृतीय	अध्ययन परिणाम	15–26
चतुर्थ	कमियाँ एवं सुझाव	27–29
	परिशिष्ट– अ	30–31
	परिशिष्ट– ब	32
	परिशिष्ट– स	33
	परिशिष्ट– द	34
	परिशिष्ट– क	35
	परिशिष्ट– ख	36

*****

उद्‌बोधन

ग्रामीण महिलाओं की निजता बनाये रखने एवं स्नान सुविधाजनक हो, के उद्धेश्य को मध्यनजर रखते हुए पंचायती राज विभाग द्वारा 'निर्मल घाट योजना' वर्ष 2007–08 में प्रारम्भ की गयी। योजनान्तर्गत स्थानीय जलस्त्रोत यथा नदी, तालाब व बांध पर महिलाओं के उपयोग हेतु घाट निर्माण करवाये गये हैं।

योजनान्तर्गत सृजित सुविधा से ग्रामीण महिलाओं को स्नान हेतु सुरक्षित एवं सम्मानजनक स्थान मिला है, अब वे अपने आप को मर्यादित अनुभव करती हैं। इस सुविधा के उपयोग से महिलाओं में स्नान के प्रति जागरूकता आयी है, जो उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभकारी है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्ति की उपयोगिता से लक्षित समूह पर हुए प्रभाव का आंकलन एवं क्रियान्वयन में अनुभूत कमियों/कठिनाइयों को यथास्थान इंगित कर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यवहारिक सुझाव दिये गये हैं, अपेक्षा है कि प्रतिवेदन विभाग एवं नीति निर्धारकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

माह – जून, 2009
स्थान– जयपुर

(यदुवेन्द्र माथुर)
शासन सचिव, आयोजना

आमुख

पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 में ग्रामीण महिलाओं की निजता (Privacy) बनाये रखने एवं स्नान को सुविधाजनक बनाने के उद्धेश्य से स्थानीय जल स्त्रोत जैसे नदियों/तालाबों/बांधों पर घाट बनाने की निर्मल घाट योजना प्रारम्भ की गयी। योजना प्रारम्भिक वर्ष 2007–08 में 26 जिलों में एवं वर्ष 2008–09 में 27 जिलों में क्रियान्वित की गयी।

पंचायती राज विभाग से प्राप्त प्रलेखीय सूचनाओं/कार्यकारी अधिकारियों से विमर्श कर, जनप्रतिनिधियों एवं लाभार्थियों से योजना के बारे में जानकारी एकत्र की गयी एवं क्षेत्रीय कार्य के दौरान सृजित परिसम्पत्ति का अवलोकन/भौतिक निरीक्षण के आधार पर एकत्र सूचना का विवेचन करते हुए प्रस्तुत मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में योजनान्तर्गत निर्मित परिसम्पत्ति एवं उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं से लक्षित समूह को मिले लाभ एवं योजना क्रियान्वयन में अनुभूत की गयी कमियों को इंगित करते हुए यथास्थान उपयोगी सुझाव, यथा समय पर बजट आवंटन करने, मानदण्ड पूरा करने वाले तालाबों/बांधों का ही चयन करना, समय–समय पर तकनीकी अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण करना, घाट की सफाई एवं मरम्मत का प्रावधान रखना, घाट तक सड़क एवं बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करना आदि दिये गये हैं। आशा है वर्णित सुझाव योजना के प्रभावी संचालन में उपयोगी सिद्ध होंगे।

दिनांक : जून, 2009
स्थान : जयपुर।

(देवानन्द)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित 'निर्मल घाट योजना' का मूल्यांकन

निष्पादक संक्षेप

I. **प्रस्तावना** :

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 में ग्रामीण महिलाओं की निजता बनाये रखने एवं स्नान को सुविधाजनक बनाने के उद्धेश्य से नदियों, तालाबों व बन्धों पर घाट बनाने की योजना प्रारम्भ की, जिसे 'निर्मल घाट योजना' नाम दिया गया।

II. **योजना का स्वरूप** :

निर्मल घाट इस प्रकार निर्माण कराये जाने प्रस्तावित हैं कि उपयोग के पश्चात् बहने वाला गन्दा पानी नदी/तालाब/बन्धे में वापस न आवे अर्थात गन्दे पानी की निकासी का उचित प्रबंधन हो सके। प्रस्तावित निर्मल घाट का मॉडल नक्शा निर्धारित किया गया है लेकिन स्थानीय आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है बशर्ते कि लागत नहीं बढ़े।

'निर्मल घाट योजना' के प्रथम वर्ष 2007–08 में 50 एवं वर्ष 2008–09 में 100 निर्मल घाटों के निर्माण हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये।

निर्मल घाट निर्माण के चयन की शर्तें :

(i) उन्हीं नदियों, तालाबों/बन्धों के साथ घाट बनाने का चयन किया गया जो गांव की आबादी से एक किलोमीटर की परिधि में हो।

(ii) उन्हीं नदियों, तालाबों एवं बन्धों का चयन किया गया जिनमें पानी पूरे वर्ष उपलब्ध हों। प्राथमिकता उन गांवों को दी गयी है जो दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव में चयनित हों।

(iii) ऐसी नदियों एवं तालाब/बन्धे जिनमें 9 माह से 12 माह तक पानी उपलब्ध हों।

(iv) ऐसी नदियाँ एवं तालाब/बन्धे जिनमें 6 माह से 9 माह तक पानी की उपलब्धता हों।

(v) ऐसी नदियाँ एवं तालाब/बन्धे जिनमें 6 माह तक पानी उपलब्ध हों।

III. **अध्ययन की आवश्यकता** :

'पंचायती राज विभाग राज. सरकार द्वारा क्रियान्वित योजना से लक्षित समूह को उपलब्ध करायी गयी सुविधा के प्रभावों के मूल्यांकन हेतु निम्न उद्धेश्यों के संदर्भ में प्रस्तुत प्रतिवेदन तैयार किया गया है :–

IV. **मूल्यांकन के उद्धेश्य** :

(i) योजनान्तर्गत कराये गये निर्मल घाटों के निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना।

(ii) चिन्हित किये गये घाट निर्माण कार्यों का स्थानीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में आंकलन करना।

(iii) निर्मित घाटों की उपयोगिता एवं गुणवत्ता का आंकलन करना।

(v) योजना के संचालन में अनुभूत कठिनाईयों/कमियों को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

V. **अध्ययन न्यादर्श** :

'निर्मल घाट योजना' के मूल्यांकन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श प्रणाली को अपनाया गया है। अधिकतम राशि व्यय करने वाले चार सम्भागों यथा अजमेर, उदयपुर, जयपुर एवं जोधपुर को चयनित किया गया।

द्वितीय स्तर पर चयनित प्रत्येक सम्भाग से कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकतम राशि व्यय करने वाले एक जिले का चयन किया गया। दो जिलों का व्यय समान पाये जाने पर अधिकतम कार्य पूर्ण करने वाले जिले का चयन किया गया। जिसके अनुसार क्रमशः अजमेर, उदयपुर, झुन्झुनुं, एवं पाली का चयन किया गया।

तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकतम राशि व्यय करने वाली 2–2 पंचायत समितियों का चयन किया गया, इस प्रकार अजमेर जिले की अराईं एवं भिनाय, उदयपुर जिले की खेरवाड़ा एवं मावली, पाली जिले की जैतारण एवं बाली तथा झुन्झुनुं जिले की खेतड़ी तथा उदयपुरवाटी का चयन किया गया। चयनित पंचायत समिति में सभी निर्मित कार्यों को सर्वे हेतु चयनित माना गया।

चतुर्थ स्तर पर प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से एक ग्राम पंचायत जिसमें निर्मल घाट का निर्माण हुआ है, का चयन कर घाट पर उपस्थिति 10–10 लाभार्थी महिलाओं से साक्षात्कार कर लाभार्थी अनुसूची भरने का प्रावधान किया गया।

VI. सन्दर्भ अवधि :

अध्ययन से संबंधित प्रलेख सूचनाएँ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से वर्ष 2007–08 एवं वर्ष 2008–09 में जुलाई 08 तक की ली गयी एवं अध्ययन का सर्वे कार्य माह सितम्बर, 08 से माह दिसम्बर 08 के दौरान किया गया।

VII. अध्ययन परिवेश :

अध्ययन हेतु चयनित चार जिलों की 8 पंचायत समितियों की 11 पंचायतों के 12 घाटों का अध्ययन हेतु चयन किया गया जबकि जिला अजमेर की पंचायत समिति, अरांई में तीन, भिनाय में दो घाटों का चयन किया गया है। अध्ययन हेतु 26 विभागीय अधिकारियों/पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के कार्मिकों/जन प्रतिनिधियों व 55 लाभार्थी महिलाओं से क्षेत्र में सम्पर्क किया गया एवं कार्यक्रम के प्रभाव/क्रियान्विती पर विचार एकत्र कर प्रस्तुत प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

VIII. वित्तीय एवं भौतिक प्रगति :

योजनान्तर्गत प्रारम्भिक वर्ष 2007–08 में 75.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गयी, नवम्बर 07 एवं फरवरी 08 में दो समान किश्तों में क्रमशः 37.50 व 37.50 लाख रुपये की राशि आवंटित की गयी, जिसके विरूद्ध वित्तीय वर्ष के अन्त तक (मार्च 08 तक) 58.43 (77.91 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये एवं 16.57 (22.09 प्रतिशत) लाख रुपये की राशि शेष रही।

वर्ष 2008–09 में 100 निर्मल घाट बनाने का लक्ष्य रखा गया। इनके निर्माण के लिए 150.00 लाख रूपये स्वीकृत किये गये। जिनमें से 75.00 लाख रूपये की राशि प्रथम किश्त के रूप में मई, 08 तक जिला परिषदों के पी.डी. खातों में हस्तान्तरित कर दी गयी। वर्ष 2008–09 में माह जुलाई 08 तक कुल आवंटित राशि 150.00 लाख में से 90.33 (60.22 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये एवं 59.67 लाख रुपये की राशि मार्च,09 तक व्यय करने की विभागीय कार्य योजना प्रस्तावित थी।

योजनान्तर्गत अध्ययन हेतु चयनित चार जिलों को संदर्भित वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 (जुलाई 2008 तक) के लिए कुल 33 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई जिसके विरूद्ध 17.73 (53.73 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये।

योजनान्तर्गत प्रारम्भिक वर्ष 2007–08 में कुल 50 कार्य स्वीकृत किये गये जिसके विपरीत 26 कार्य अर्थात 52 प्रतिशत कार्य पांच माह की अवधि में पूर्ण किये गये। वित्तीय स्वीकृति देर से जारी होने के कारण 24 कार्य अर्थात 48 प्रतिशत कार्य अपूर्ण रहे।

वर्ष 2008–09 में पिछले वर्ष 2007–08 के शेष अपूर्ण कार्य 24 एवं वर्ष 2008–09 में भौतिक लक्ष्य 100 कार्यों का था। इस प्रकार वर्ष 2008–09 के लिए कुल 124 कार्य पूर्ण करने का भौतिक लक्ष्य था, माह जुलाई,08 तक 124 कार्यों के विरूद्ध 25 (20 प्रतिशत) (वर्ष 2008–09 के स्वीकृत 4 कार्य एवं वर्ष 2007–08 के बकाया 21 कार्य) कार्य पूर्ण हुए, शेष 99 कार्य मार्च 09 तक पूर्ण कराये जाने का विभागीय लक्ष्य था।

चयनित जिलों में वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में कुल स्वीकृत 36 कार्यों में से 13(36.12 प्रतिशत) कार्य जुलाई 08 तक पूर्ण कर लिये गये। शेष 18(50.0 प्रतिशत) कार्य निर्माणाधीन एवं 5(13.88 प्रतिशत) कार्य आरम्भ नहीं होना पाये गये।

IX. निर्मल घाट के विभिन्न पहलुओं पर विवेचना :

प्राथमिकता के आधार पर निर्मल घाट निर्माण हेतु जिन तालाबों/बांधों को निर्मल घाट निर्माण हेतु चयन किया गया है वे अधिकांशतः स्थानीय आवश्यकता एवं योजनान्तर्गत निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करते हैं, लेकिन शेष स्थलों पर सर्वेक्षण के समय पानी का अभाव व नहाने योग्य पानी नहीं होने जैसी स्थिति पायी गयी। अध्ययन के दौरान निम्न स्थितियाँ पायी गयी :–

(a). सृजित परिसम्पत्ति मॉडल :

अजमेर, पाली जिले में निर्मित घाट का निर्माण स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर स्वीकृत मॉडल में संशोधन किया गया, इससे स्वीकृत राशि सीमा में वृद्धि हो गयी जिससे चैन्ज रूम का निर्माण नहीं हो सका। उदयपुर एवं झुन्झुनुं जिले में स्वीकृत मॉडल के अनुसार स्वीकृत राशि सीमा में घाट निर्माण करवाया गया है।

(b). निर्माण (कार्यकारी अभिकरण) :

निर्मल घाट का निर्माण कार्य सभी चयनित जिलों में विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा करवाया गया है जो कि विभाग द्वारा तय किये गये नार्मस (Norms) के अनुरूप था।

(c). कार्यों की गुणवत्ता :

कार्यकारी अधिकारियों/जन प्रतिनिधियों से वार्ता करने पर/अवलोकन करने पर पाया गया कि घाट निर्माण की गुणवत्ता सभी जिलों में सन्तोषजनक पायी गयी तथा घाट निर्माण में प्रयुक्त सामग्री अच्छी श्रेणी की पायी गयी।

X. सुविधा की उपयोगिता/सुझाव :

तालाबों/बांध, नदियों पर पूर्व में उपलब्ध, जीर्ण–शीर्ण फिसलन वाले, टूटे हुए, गन्दे घाटों को महिलाओं द्वारा उपयोग कम करना अध्ययन के दौरान जानकारी में आया। योजनान्तर्गत नवनिर्मित घाटों पर निम्नानुसार उपयोग बढ़ा है :–

अजमेर जिले में चयनित 5 निर्मल घाटों पर जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, लगभग 40 प्रतिशत लाभार्थियों की वृद्धि होना पाया गया।

उदयपुर जिले के चयनित 2 घाटों पर निर्माण से पूर्व महिलाओं की संख्या औसतन 20–30 थी, जो घाट निर्माण के पश्चात् बढ़कर 40–50 हो गई। उदयपुर जिले में महिलाओं की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि होना पाया गया।

झुन्झुनुं जिले में चयनित दोनों घाटों पर भी लगभग 40 प्रतिशत लाभार्थियों की वृद्धि होना पाया गया।

पाली जिले के चयनित तीन घाटों में से 2 घाटों पर निर्माण से पूर्व आने वाली महिलाओं की संख्या 50–60 पाई गई, जो घाट निर्माण के पश्चात् बढ़कर 75–90 हो गई।

घाट का अधिकतम उपयोग 31 से 45 आयु वर्ग की 33(60.00 प्रतिशत) महिलाओं द्वारा किया जाना पाया गया। तदन्तर 16 से 30 आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या 12(21.82 प्रतिशत) है। लाभार्थी महिलाओं द्वारा अवगत कराया गया कि कम आयु वर्ग की बालिकाएं सुरक्षा की दृष्टि से परिवार की महिलाओं के साथ ही उपयोग कर पाती है।

घाट का उपयोग करने में किसी प्रकार की जातिगत आपत्ति नहीं है। सभी जाति की महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा इसका उपयोग नियमित रूप से किया जा रहा है।

यद्यपि निर्मल घाट योजना प्रमुखतः ग्रामीण महिलाओं के स्नान की उचित सुविधा को ध्यान में रखकर प्रारम्भ की गयी है तथापि अवलोकन के दौरान पाया गया कि घाट खाली होने पर इसका उपयोग पुरूषों/बालकों द्वारा भी किया जाना सूचित हुआ है।

XI. योजना की कमियाँ एवं सुझाव :

कार्यक्रम संचालन में अनुभूत कमियों के साथ–साथ उनके निराकरण हेतु सुझाव भी दिये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

(i) बजट आवंटन में विलम्ब एवं अपर्याप्तता :

विकास अधिकारियों से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति आधार पर वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी की गयी। स्वीकृत मॉडल के अनुसार, परिसम्पत्ति के निर्माण हेतु राशि अपर्याप्त रही। अतः सुझाव है कि वित्तीय स्वीकृति समय पर मिलनी चाहिए एवं मानदण्डानुसार कार्य की लागत का मुआयना करवाकर ही पर्याप्त राशि आवंटित की जानी चाहिए।

(ii) पानी की अपर्याप्तता :

क्षेत्रीय कार्य के दौरान निर्मल घाटों के भौतिक सत्यापन करने पर पाया गया कि जिला अजमेर में व जिला झुन्झुनू में 5 घाटों पर उपलब्ध पानी नहाने योग्य नहीं था एवं पानी की उपलब्धता नहीं थी।

जिन तालाबों/नदियों या बांधों पर निर्मल घाट का निर्माण करवाया है उनमें नहाने योग्य पर्याप्त पानी नहीं है। निर्माण से पूर्व तालाब/बांध की सफाई/गन्दी मिट्टी को निकलवाकर उसकी भराव क्षमता को बढ़ाना चाहिये ताकि घाट पर वर्षभर पानी उपलब्ध हो।

(iii) पर्यवेक्षण का अभाव :

निर्माण कार्यों की देखभाल का जिम्मा विकास खण्ड़ के तकनीकी अधिकारी को सौंपा गया इससे कार्य का सामयिक निरीक्षण, पर्यवेक्षण का अभाव पाया गया। अतः कार्यक्रम के कुशल क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर तकनीकी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करवाया जावे, ताकि स्वीकृत कार्य समय पर उसी बजट राशि में पूर्ण हो सके।

(iv) मॉडल अनुसार निर्माण का अभाव :

स्वीकृत मॉडल के अनुरूप निर्मल घाटों का निर्माण में चैन्ज रूम का प्रावधान, जो इस योजना का घाट निर्माण के साथ–साथ अहम उद्धेश्य था, जो उदयपुर एवं झुन्झुनु जिले को छोड़कर कहीं भी पूरा नहीं हो सका। अतः सुझाव है कि निर्धारित मानदण्डानुसार पूर्ण कार्य का भुगतान ही किया जावे, अतिरिक्त कार्य ग्राम पंचायत स्वंय के संसाधनों से करवाये।

(v) **सफाई एवं गन्दे पानी की निकासी व्यवस्था** :

अवलोकन के दौरान पाया, कि घाट पर स्नान एवं कपड़े धोने पर साबुनयुक्त पानी बहकर पुनः तालाब में ही जाता है। उसकी निकासी का उचित प्रबन्धन नहीं है। अतः योजनान्तर्गत अनुमोदित मॉडल में परिवर्तन की आवश्यकता है, इससे घाट निर्माण की लागत राशि में भी वृद्धि संभावित है।

(vi) **गांव से घाट तक आने जाने के लिए सुविधाजनक मार्ग** :

गांव से घाट तक आने जाने का मार्ग उबड़खाबड़ है जिससे आवागमन में असुविधा होती है। अतः प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी अन्य योजना के साथ डवटेल किया जाना चाहिए था।

(vii) **विद्युत कनेक्शन का अभाव** :

घाट पर बिजली नहीं होने के कारण उसका उपयोग रात/शाम को नहीं किया जा सकता। यदि बिजली की व्यवस्था हो तो किन्हीं आवश्यक परिस्थितियों में इसका उपयोग रात्रि को भी किया जा सकता है।

(viii) **एनीकट के निर्माण पर रोक** :

खेतड़ी पंचायत समिति में सिरोड़ ग्राम में जिस तालाब/बांध पर घाट का निर्माण हुआ है उसके आसपास चारों ओर छोटे–छोटे एनीकट बने हुए हैं। एनीकट बनने से पानी की आवक अवरूद्ध होती है। अतः बरसात के पानी की आवक सुव्यवस्थित रहने के लिए पत्थरों के कच्चे एनीकट ही स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निर्मल घाट योजना महिलाओं के स्नान करने की सुविधा एवं ग्रामीण महिलाओं की निजता (Privacy) बनी रहने के उद्देश्य को मध्यनजर रखकर क्रियान्वित की गयी है, जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य से सीधा सम्बन्ध रखती है। ऐसे स्थलों की देखभाल एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपी जावें, जन–प्रतिनिधियों/वार्ड पंच/वार्ड पार्षद भी रचनात्मक भूमिका अदा करें, तो यह स्त्रोत सभी महिलाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। सृजित सुविधाओं का विस्तार स्थानीय दानदाताओं के आर्थिक सहयोग से भी किया जाने की पहल की जानी चाहिए। नहाने व कपड़े धोने से हुए गन्दे पानी की निकास की उचित व्यवस्था लाभार्थी एवं स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी से ही घाटों पर उपलब्ध पानी स्वच्छ रह सकेगा जिसका उपयोग वर्ष में लम्बी अवधि तक किया जा सकेगा। योजना की महत्ता एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि समय पर जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावे, ताकि निर्धारित समय सीमा में परिसम्पत्तियों का सृजन हो सके।

————

अध्याय–प्रथम

अध्ययन परिचय

1.0 **प्रस्तावना** :

1.1.1 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण विकास की अनेक योजनाऐं संचालित की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण महिलाओं के स्नान की उचित सुविधा को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने वर्ष 2007–08 में ग्रामीण महिलाओं की निजता बनाये रखने एवं स्नान को सुविधाजनक बनाने के उद्धेश्य से नदियों, तालाबों व बन्धों पर घाट बनाने की योजना प्रारम्भ की, जिसे 'निर्मल घाट योजना' नाम दिया गया।

1.2 **योजना का स्वरूप** :

1.2.1 'निर्मल घाट योजना' के प्रथम वर्ष 2007–08 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 100 निर्मल घाट बनाने का निर्णय लिया गया, इसी वर्ष में लक्ष्यों को घटाकर 50 निर्धारित कर योजना को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीमित कर दिया गया। जिलेवार/पंचायत समितिवार भौतिक लक्ष्य परिशिष्ट 'अ' पर है। प्रत्येक निर्मल घाट पर लगभग रूपये 1.50 लाख व्यय किये जाना अनुमानित किया गया। इस हेतु 50 निर्मल घाटों के निर्माण हेतु 75.00 लाख रूपये दो किश्तों में जिला परिषदों में पी.डी. खातों क्रमशः नवम्बर 2007 एवं फरवरी 2008 में हस्तान्तरण किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही 100 'निर्मल घाटों' पर सार्वजनिक सुविधाऐं उपलब्ध करवाये जाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये। इस हेतु प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति 75.00 लाख रूपये माह मई, 2008 में जारी की गयी।

1.3 **पात्रता** :

(i) उन्हीं नदियों, तालाबों/बन्धों के साथ घाट बनाने का चयन किया गया जो गांव की आबादी से एक किलोमीटर की परिधि में हो।

(ii) उन्हीं नदियों, तालाबों एवं बन्धों का चयन किया गया जिनमें पानी पूरे वर्ष उपलब्ध हों। प्राथमिकता उन गांवों को दी गयी है जो दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव में चयनित हों।

(iii) ऐसी नदियों एवं तालाब/बन्धे जिनमें 9 माह से 12 माह तक पानी उपलब्ध हों।

(iv) ऐसी नदियाँ एवं तालाब/बन्धे जिनमें 6 माह से 9 माह तक पानी की उपलब्धता हों।

(v) ऐसी नदियाँ एवं तालाब/बन्धे जिनमें 6 माह तक पानी उपलब्ध हों।

1.3.1 उपरोक्त प्राथमिकता को ध्यान में रखकर जिला परिषद की साधारण सभा में पंचायत समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों से लक्ष्यों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त कर निर्धारित 'निर्मल घाटों' की स्वीकृति प्राप्त की जाकर माह मई 2008 के अन्त तक इनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की गई, कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायतें तय की गयी।

1.4 निर्मल घाट की रूपरेखा :

1.4.1 प्रस्तावित निर्मल घाट इस प्रकार निर्माण कराये जाने प्रस्तावित हैं कि उपयोग के पश्चात् बहने वाला गन्दा पानी नदी/तालाब/बन्धे में वापस न आवे अर्थात गन्दे पानी की निकासी का उचित प्रबंधन हो सके। प्रस्तावित निर्मल घाट का मॉडल नक्शा निर्धारित किया गया है लेकिन स्थानीय आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है बशर्ते कि लागत नहीं बढ़े।

1.5 अध्ययन की आवश्यकता :

1.5.1 राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में ग्रामीण महिलाओं की निजता बनाये रखने एवं स्नान को सुविधाजनक बनाने हेतु निर्मल घाट योजना प्रारम्भ की गयी है। 'पंचायती राज विभाग राज. सरकार द्वारा क्रियान्वित योजना से लक्षित समूह पर हुए प्रभावों के मूल्यांकन अध्ययन हेतु मूल्यांकन संगठन को निम्न उद्धेश्यों के संदर्भ में निर्देशित किया गया।

1.6 अध्ययन के उद्धेश्य :

(i) योजनान्तर्गत कराये गये निर्मल घाटों के निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना।

(ii) चिन्हित किये गये घाट निर्माण कार्यों का स्थानीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में आंकलन करना।

(iii) निर्मित घाटों की उपयोगिता एवं गुणवत्ता का आंकलन करना।

(v) योजना के संचालन में अनुभूत कठिनाईयों/कमियों को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

1.7 वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में जुलाई 08 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है :–

योजना की प्रगति – माह जुलाई 2008 तक

वर्ष	वित्तीय प्रगति (लाख रूपये में)					भौतिक प्रगति (संख्या)						
	गत वर्ष की अवशेष राशि	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	अवशेष राशि (अप्रेल प्रारम्भ)	गत वर्ष के अवशेष कार्य	स्वीकृत कार्य	कुल कार्य प्रारम्भ	पूर्ण निर्मित	कार्य प्रगति पर	कार्य आरंभ नहीं
2007–08	–	75.00	75.00	75.00	58.43	16.57	–	50	50	26	24	–
2008–09	16.57	150.00	75.00	91.57	31.90	–	24	100	124	25	70	29

1.7.1 योजनान्तर्गत प्रारम्भिक वर्ष 2007–08 में बीकानेर सम्भाग को छोड़कर शेष सम्भागों के 26 जिलों में 50 निर्मल घाट बनाने की स्वीकृति जारी की गई। वर्ष 2007–08 में उक्त 50 निर्मल घाटों को बनाने के लिए 75.00 लाख रूपये स्वीकृत कर आवंटित किये गये। आवंटित 75.00 लाख रूपये में से 31.03.2008 तक 58.43 लाख रूपये व्यय हुए तथा 16.57 लाख रूपये शेष रहे। वर्ष 2007–08 में स्वीकृत 50 निर्मल घाटों में से 26 निर्मल घाट पूर्ण तथा 24 निर्मल घाट प्रगतिरत थे।

1.7.2 योजना के द्वितीय वर्ष 2008–09 में भी राज्य सरकार ने इस योजना को चालू रखने का निर्णय लिया। इस वर्ष स्वीकृत 100 निर्मल घाटों के लिए 150.00 लाख रूपये की राशि जिला परिषद के पी.डी. खातों में दो समान किश्तों (75.00 लाख रूपये) हस्तान्तरित किये गये। वर्ष 2008–09 में स्वीकृत राशि 150 लाख रूपये में से 75.00 लाख रूपये की राशि मई 08 में आवंटित की गई तथा 16.57 लाख रूपये की राशि पूर्व वर्ष की शेष थी। इस प्रकार वर्ष 2008–09 में माह जुलाई 08 तक कुल प्रावधान राशि (75.00+16.57)=91.57 लाख रूपये की राशि में से 31.90 लाख रूपये की राशि व्यय की गई जो कुल उपलब्ध राशि 34.84 प्रतिशत है। वर्ष 2008–09 में स्वीकृत 100 कार्य एवं 2007–08 के शेष 24 निर्माणाधीन कार्यों अर्थात 100+24=124 कार्यों में से जुलाई, 08 तक 25 (21 कार्य वर्ष 2007–08 में एवं 4 कार्य वर्ष 2008–09) कार्य पूर्ण हो चुके थे। शेष 70 निर्माणाधीन रहे एवं 29 कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके।

1.7.3 इस प्रकार जुलाई 2008 तक वर्ष 2007–08 में स्वीकृत कार्यों में 47 कार्य पूर्ण हो गये एवं 3 निर्माणाधीन रहे। वर्ष 2008–09 में स्वीकृत 100 कार्यों में से 4 पूर्ण हुए। 67 कार्य निर्माणाधीन थे तथा 29 कार्य प्रारम्भ ही नहीं हो सके।

1.8 **अध्ययन न्यादर्श** :

1.8.1 'निर्मल घाट योजना' के मूल्यांकन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श प्रणाली को अपनाया गया है। पंचायती राज विभाग से प्राप्त प्रगति के आधार पर परिशिष्ट 'ब' के अनुसार अधिकतम राशि व्यय करने वाले 4 सम्भागों यथा अजमेर, उदयपुर, जयपुर, एवं जोधपुर को चयनित किया गया।

1.8.2 द्वितीय स्तर पर चयनित प्रत्येक सम्भाग से कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकतम राशि व्यय करने वाले एक जिले का चयन किया गया। दो जिलों का व्यय समान पाये जाने पर अधिकतम कार्य पूर्ण करने वाले जिले का चयन किया गया। जिसके अनुसार क्रमशः अजमेर, उदयपुर, झुन्झुनुं, एवं पाली का चयन किया गया।

1.8.3 तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकतम राशि व्यय करने वाली 2–2 पंचायत समितियों का चयन किया गया, इस प्रकार अजमेर जिले की अराईं एवं भिनाय, उदयपुर जिले की खेरवाड़ा एवं मावली, पाली जिले की जैतारण एवं बाली तथा झुन्झुनुं जिले की खेतड़ी तथा उदयपुरवाटी का चयन किया गया। चयनित पंचायत समिति में सभी निर्मित कार्यों को सर्वे हेतु चयनित माना गया।

1.8.4 चतुर्थ स्तर पर प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से एक ग्राम पंचायत जिसमें निर्मल घाट का निर्माण हुआ है, का चयन कर घाट पर उपस्थिति 10–10 लाभार्थी महिलाओं से साक्षात्कार कर लाभार्थी अनुसूची भरने का प्रावधान किया जाना था, लेकिन अध्ययन दल को सर्वेक्षण के समय उपलब्ध 55 महिला लाभार्थियों से साक्षात्कार किया गया।

1.8.5 जिलेवार चयनित पंचायत समिति, निर्मल घाट पर साक्षात्कार किये गये लाभार्थी महिलाओं का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है :–

चयनित जिलेवार चयनित पंचायत समिति,
निर्मल घाट एवं लाभार्थियों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	सम्भाग मुख्यालय	चयनित जिला	चयनित पंचायत समिति की संख्या	चयनित निर्मल घाट/गांव संख्या	साक्षात्कार की गयी लाभार्थी महिला संख्या
1	अजमेर	अजमेर	2	5	5
2	जयपुर	झुन्झुनुं	2	2	20
3	जोधपुर	पाली	2	3	20
4	उदयपुर	उदयपुर	2	2	10
योग	**4**	**4**	**8**	**12**	**55**

1.8.6 इस प्रकार उक्त चयनित 8 पंचायत समितियों के 12 घाटों में से 7 घाटों में ही पानी उपलब्ध था, इन घाटों से कुल 55 लाभार्थियों से सर्वे दिनांक को साक्षात्कार द्वारा निर्मल घाटों की उपयोगिता एवं योजना के प्रभाव के बारे में उनके विचार ज्ञात किये जाकर प्रस्तुत प्रतिवेदन में यथास्थान अंकित किये गये अजमेर जिले की अरांई पंचायत समिति के दो घाटों पर नहाने योग्य पानी नहीं होने एवं भिनाय पंचायत समिति के दो घाट एवं उदयपुर की मावली पंचायत समिति में एक घाट पर सर्वेक्षण दिनांक को तालाब में पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण लाभार्थी उपलब्ध नहीं हो सके। इन घाटों के बारे में सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों के विचार एकत्र कर प्रतिवेदन में यथास्थान अंकित किये गये हैं।

1.9 **अध्ययन उपकरण** :

1.9.1 अध्ययन के मूल्यांकन हेतु निम्न अनुसूचियाँ भरी गई।

1. **प्रलेख अनुसूची** :

इस अनुसूची में चयनित जिले एवं चयनित पंचायत समितियों की वर्ष 2007–08 एवं वर्ष 08–09 की जुलाई 08 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना भरी गई।

2. **कार्य अनुसूची** :

इस अनुसूची में योजनान्तर्गत चयनित कार्य की स्थिति, गुणवत्ता एवं उपयोगिता संबंधी सूचना एकत्र की गई।

3. **लाभार्थी अनुसूची** :

इस अनुसूची में सर्वे दिनांक को घाट पर स्नान करने आयी उपलब्ध महिलाओं से योजना की उपयोगिता एवं प्रभाव के संबंध में विचार प्राप्त किये गये।

4. **सरकारी/गैर सरकारी अनुसूची** :

यह अनुसूची योजना से संबंधित विभागीय अधिकारियों यथा विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता एवं ग्राम के सरपंच/ जन प्रतिनिधियों से भरी गयी।

5. **अवलोकन अनुसूची** :

यह अनुसूची अन्वेषक द्वारा सर्वे दिनांक को सर्वेक्षण किये गये निर्मल घाटों के अवलोकन के आधार पर वस्तुस्थिति/विवरण प्रतिवेदन में यथास्थान अंकित की गयी है।

1.10 **सन्दर्भ अवधि** :

अध्ययन से संबंधित प्रलेख सूचनाएँ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से वर्ष 2007–08 एवं वर्ष 2008–09 में जुलाई 08 तक की ली गयी एवं अध्ययन का सर्वे कार्य माह सितम्बर, 08 से माह दिसम्बर 08 के दौरान किया गया।

———

अध्याय–द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.0 राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में नदी एवं तालाब के घाटों पर महिलाओं के स्नान की उचित व्यवस्था के अभाव में उन्हें खुले में स्नान करना पड़ता है जो उनकी सुरक्षा एवं सम्मान की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। इसी समस्या के समाधान के रूप में ग्रामीण महिलाओं की निजता बनाये रखने एवं स्नान को सुविधाजनक बनाने के लिए नदियों एवं तालाबों/बन्धों के साथ घाट बनाने के लिए राज्य में वर्ष 2007–08 में '**निर्मल घाट योजना**' प्रारम्भ की गयी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 एवं 2008–09(जुलाई 08) तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विश्लेषण प्रस्तुत अध्याय में किया गया है। योजना के प्रथम वर्ष में स्वीकृत 50 निर्मल घाटों के लिए 75.00 लाख रूपये एवं वर्ष 2008–09 में स्वीकृत 100 निर्मल घाटों के लिए 150.00 लाख रूपये स्वीकृत किये गये।

2.1 राज्य स्तरीय वित्तीय प्रगति :

2.1.1 योजनान्तर्गत संदर्भित वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में माह जुलाई तक स्वीकृत आवंटित एवं व्यय राशि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	1.4.08 को अवशेष राशि	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	व्यय प्रतिशत
1	2007–08 31.03.08	–	75.00	75.00	75.00	58.43	77.91
2	2008–09 (जुलाई 08 तक)	16.57	150.00	75.00	91.57	31.90	34.84
	योग :		**225.00**	**150.00**		**90.33**	**60.22**

2.1.2 उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है कि योजनान्तर्गत प्रारम्भिक वर्ष 2007–08 में 75.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गयी और 75.00 लाख रूपये ही आवंटित किये गये। यह राशि नवम्बर 2007 व फरवरी 2008 में दो समान किश्तों में 37.50

लाख रूपये जिला परिषदों में पी.डी. खातों में हस्तान्तरित की गयी। जिसके विरूद्ध वित्तीय वर्ष के अन्त तक (मार्च 08 तक) 58.43 लाख रूपये व्यय किये गये जो कुल आवंटन का 77.91 प्रतिशत है तथा 22.09 प्रतिशत राशि शेष रही। वर्ष 2008–09 में 100 निर्मल घाट बनाने का लक्ष्य रखा गया। इनके निर्माण के लिए 150.00 लाख रूपये स्वीकृत किये गये। जिनमें से 75.00 लाख रूपये की राशि प्रथम किश्त के रूप में मई, 08 तक जिला परिषदों के पी.डी. खातों में हस्तान्तरित कर दी गयी। वर्ष 2008–09 में दिनांक 01.04.08 को 16.57 लाख रूपये की राशि शेष रही। इस प्रकार वर्ष 2008–09 के लिए कुल उपलब्ध प्रावधान (75.00+16.57) कुल 91.57 लाख रूपये रहा। जिनमें से जुलाई 08 तक 31.90 लाख रूपये व्यय किये गये जो वर्ष 2008–09 में कुल उपलब्ध प्रावधान का 34.84 प्रतिशत है तथा शेष 65.16 प्रतिशत राशि वर्ष 2008–09 की अवधि हेतु उपलब्ध रही।

2.2 सम्भाग स्तरीय वित्तीय प्रगति :

2.2.1 योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 (जुलाई 08 तक) की 6 सम्भागों की वित्तीय प्रगति निम्न तालिका द्वारा परिलक्षित है :–

सम्भाग स्तरीय वित्तीय प्रगति

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	सम्भाग	कुल आवंटन	कुल व्यय	व्यय राशि प्रतिशत
1	अजमेर	47.25	26.05	55.13
2	उदयपुर	28.50	25.95	91.05
3	जयपुर	27.00	13.50	50.00
4	जोधपुर	17.25	7.53	43.65
5	भरतपुर	17.25	11.20	64.93
6	कोटा	12.75	6.10	47.84
	योग :	**150.00**	**90.33**	**60.22**

2.2.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सन्दर्भित दोनों वर्षों (2007–08 एवं 2008–09) में सम्भागों में योजनान्तर्गत 150 लाख रूपये की आवंटित राशि के विपरीत 90.33 (60.22 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि व्यय की गई। सर्वाधिक राशि का उपयोग उदयपुर सम्भाग में किया जाना पाया गया। उदयपुर सम्भाग में कुल आवंटित 28.50 लाख रूपये की राशि के विपरीत 25.95 (91.05 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि व्यय की गई। न्यूनतम राशि का उपयोग जोधपुर सम्भाग में किया जाना

पाया गया, जहाँ कुल आवंटित 17.25 लाख रूपये की राशि के विपरीत 7.53 (43.65 प्रतिशत) लाख रूपये ही व्यय किये जाने पाये गये। इसी प्रकार अजमेर सम्भाग में 47.25 लाख रूपये आवंटित राशि के विपरीत 26.05 (55.13 प्रतिशत), जयपुर सम्भाग में 27 लाख रूपये के विपरीत 13.50 (50.00 प्रतिशत) भरतपुर सम्भाग में 17.25 रूपये आवंटित राशि के विपरीत 11.20 (66.67 प्रतिशत) एवं कोटा सम्भाग में 12.75 लाख रूपये आवंटित राशि के विपरीत 6.10(47.84 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये जाने पाये गये। योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 (जुलाई 08 तक) की सम्भागवार प्रगति परिशिष्ट 'स' पर दर्शायी गई है। विभाग द्वारा स्वीकृत राशि का आवंटन फरवरी,2008 (2007–08) के लिए वर्ष 2008–09 की प्रथम किश्त माह मई में किया जाना पाया गया।

2.3 जिलेवार वित्तीय प्रगति :

2.3.1 सन्दर्भित दोनों वर्षों 2007–08 एवं 2008–09 (जुलाई 2008) तक की जिलेवार वित्तीय प्रगति परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

2.3.2 अजमेर सम्भाग के चारों जिलों (अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर एवं टोंक) को क्रमशः 16.50, 18.50, 2.25 एवं 9.75 लाख रूपये यानि कुल 47.25 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई। सर्वाधिक भीलवाड़ा जिले को आवंटित 18.75 लाख रूपये में से 8.70 लाख रूपये व्यय किये गये।

2.3.3 उदयपुर सम्भाग के 5 जिलों को कुल आवंटित 28.50 लाख रूपये में से बांसवाड़ा जिले को अधिकतम 6.75 लाख रूपये आवंटित राशि के विपरीत 9.00 लाख रूपये व्यय किये गये अर्थात 33.33 प्रतिशत राशि अधिक व्यय की गई। न्यूनतम 28.57 प्रतिशत राशि का उपयोग डूंगरपुर जिले में किया जाना पाया गया।

2.3.4 जयपुर सम्भाग के सीकर जिले के सर्वाधिक 6.75 लाख रूपये, अलवर, जयपुर एवं झुन्झुनुं को 6–6 लाख रूपये एवं न्यूनतम 2.25 लाख रूपये दौसा जिले को आवंटित किये गये। सर्वाधिक 90 प्रतिशत राशि का उपयोग जयपुर जिले द्वारा एवं न्यूनतम मात्र 0.07 प्रतिशत राशि का उपयोग सीकर जिले द्वारा किया जाना पाया गया। जोधपुर सम्भाग के पांचों जिलों को कुल 17.25 लाख रूपये आवंटित किये गये। पाली जिले को सर्वाधिक 6.00 लाख रूपये आवंटित राशि के विपरीत 3.00 लाख रूपये का उपयोग किया जाना पाया गया। सिरोही जिले में न्यूनतम 2.25 लाख रूपये आवंटित राशि के विपरीत 1.03 लाख रूपये व्यय किये गये। इसी तरह बाड़मेर, जालौर एवं जोधपुर को 3–3 लाख रूपये आवंटित किये गये एवं क्रमशः 0.75, 1.25 एवं 1.50 लाख रूपये व्यय किये जाने पाये गये।

2.3.5 भरतपुर सम्भाग में सर्वाधिक 9.75 लाख रूपये, भरतपुर जिले को आवंटित किये गये एवं 7.00 लाख रूपये का व्यय किया जाना पाया गया। करौली जिले में आवंटित 3.00 लाख रूपये की राशि के विपरीत 1.00 लाख रूपये व्यय किये जाने पाये गये। धौलपुर एवं सवाईमाधौपुर जिलों को 2.25–2.25 लाख रूपये आवंटित किये गये एवं क्रमशः 1.70 एवं 1.50 लाख रूपये व्यय किये जाने पाये गये।

2.3.6 कोटा सम्भाग के चार जिलों को आवंटित 12.75 लाख रूपयों में से सर्वाधिक 4.50 लाख रूपये झालावाड़ जिले को आवंटित किये गये एवं 2.25 लाख रूपये का उपयोग किया जाना पाया गया। कोटा जिले को संदर्भित दोनों वर्षों में कुल 3.75 लाख रूपये आवंटित किये गये किन्तु जुलाई 08 तक कोई राशि व्यय नहीं की जानी पाई गई। कोटा जिले में अभी तक आवंटित राशि का उपयोग नहीं किये जाने का कारण विभाग द्वारा स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

2.4 चयनित जिलों की वित्तीय प्रगति :

2.4.1 योजनान्तर्गत अध्ययन हेतु चयनित चार जिलों यथा अजमेर, उदयपुर, झुन्झुनुं एवं पाली की वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 (जुलाई 08 तक) की वित्तीय प्रगति का विवरण निम्न तालिका में उद्यत है :–

चयनित जिलों की वित्तीय प्रगति
वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 (जुलाई 08 तक)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	चयनित जिलों के नाम	कुल आवंटन	कुल व्यय	व्यय राशि प्रतिशत
1	अजमेर	16.50	8.25	50.00
2	उदयपुर	8.25	5.45	66.06
3	झुन्झुनुं	6.00	3.00	50.00
4	पाली	2.25	1.03	45.78
	योग :	**3.00**	**17.73**	**53.73**

2.4.2 उपरोक्त सारणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि योजनान्तर्गत अध्ययन हेतु चयनित चार जिलों को संदर्भित वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 (जुलाई 2008 तक) के लिए कुल 33 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई एवं 17.73 (53.73) लाख रूपये व्यय किये गये। सारणी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि चयनित चार

जिलों में से तीन जिलों अजमेर एवं झुन्झुनुं जिलों में आवंटित राशि का 50 प्रतिशत एवं पाली जिले में सिर्फ 45.78 प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया। अधिकतम 66.06 प्रतिशत राशि उदयपुर जिले में व्यय की जानी पाई गई।

2.4.3 सारणी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अजमेर जिले के 16.50 लाख रूपये आवंटित राशि के विपरीत 8.25 (50 प्रतिशत) राशि, उदयपुर जिले में 8.25 आवंटित राशि के विपरीत 5.45 (66.06) लाख रूपये एवं झुन्झुनुं जिले में 6 लाख रूपये आवंटित राशि के विपरीत 3(50 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि का उपयोग किया जाना पाया गया। पाली जिले द्वारा न्यूनतम राशि का उपयोग किया जाना पाया गया। पाली जिले में 2.25 लाख रूपये आवंटित किये गये जबकि केवल मात्र 1.03 (45.78 प्रतिशत) लाख रूपये संदर्भित दोनों वर्षों में (जुलाई 08 तक) व्यय किये गये। अध्ययन हेतु चयनित चारों जिलों में ही शत–प्रतिशत राशि का उपयोग नहीं किया गया है। कम राशि व्यय किये जाने के कारणों में विभाग द्वारा स्वीकृत राशि का आवंटन देरी से करना रहा है। विभाग द्वारा दूसरी किश्त वित्तीय वर्ष 2007–08 की समाप्ति से एक माह पूर्व फरवरी 08 में जारी की है। चयनित जिलों की पंचायत समितिवार सूचना परिशिष्ट 'क' पर दी गई है।

2.5 राज्य स्तरीय भौतिक प्रगति :

2.5.1 योजनान्तर्गत संदर्भित वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में माह जुलाई 08 तक स्वीकृत कार्य, पूर्ण कार्य, अपूर्ण कार्य/कार्य प्रगति पर एवं कार्य प्रारम्भ नहीं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है। सम्भागवार प्रगति परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध है।

वर्षवार भौतिक प्रगति का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	स्वीकृत कार्य	कुल भौतिक लक्ष्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य / कार्य प्रगति पर	कार्य प्रारम्भ नहीं
1	2007–08	50	50	26 (52 प्रतिशत)	24 (48 प्रतिशत)	–
2	2008–09 (जुलाई 08 तक)	100	124	25 (20.2प्रतिशत)	70 (56.4प्रतिशत)	29 (23.4प्रतिशत)

2.5.2 उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है कि योजनान्तर्गत प्रारम्भिक वर्ष 2007–08 में कुल 50 कार्य स्वीकृत किये गये जिसके विपरीत 26 कार्य अर्थात 52 प्रतिशत कार्य पांच माह की अवधि में पूर्ण किये गये एवं 24 कार्य अर्थात 48 प्रतिशत कार्य अपूर्ण रहे जबकि वर्ष 2008–09 में 100 कार्य स्वीकृत किये गये तथा पिछले वर्ष 2007–08 के शेष अपूर्ण कार्य 24 अर्थात वर्ष 2008–09 में भौतिक लक्ष्य 124 कार्यों का था जिनमें से 21 कार्य जो 07–08 में थे, वित्तीय वर्ष 08–09 में लगभग 4 माह में पूर्ण हुए वर्ष 08–09 के 4 स्वीकृत कार्य लगभग 2 माह में पूर्ण हुए। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि स्थानीय कार्यकारी एजेंसी कार्य पूर्ण करने में देरी करती है। 25 कार्य अर्थात 20.2 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हो सके शेष 99 कार्यों में से 70 प्रगति पर थे तथा 29 कार्य प्रारम्भ ही नहीं हो सके जिसका कारण समय पर वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होना रहा है।

2.6 सम्भाग स्तरीय भौतिक प्रगति :

2.6.1 योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 (जुलाई 08 तक) में 6 सम्भागों (बीकानेर सम्भाग को छोड़कर) की भौतिक प्रगति निम्न तालिका द्वारा दर्शायी गयी हैः–

सम्भाग स्तरीय भौतिक प्रगति

क्र. सं.	सम्भाग	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या	निर्माणाधीन	कार्य प्रारम्भ नहीं संख्या (प्रतिशत)
1	अजमेर	47	16 (34.04%)	11 (23.40%)	20 (42.56%)
2	उदयपुर	28	11 (39.29%)	17 (60.71%)	–
3	जयपुर	27	8 (29.63%)	17 (62.90%)	2 (7.41%)
4	जोधपुर	17	6 (35.29%)	9 (52.94%)	2 (11.77%)
5	भरतपुर	17	7 (41.18%)	8 (47.06%)	2 (11.76%)
6	कोटा	14	3 (21.43%)	8 (57.14%)	3 (21.43%)
	योग	**150**	**51 (34.00%)**	**70 (46.67%)**	**29 (19.33%)**

2.6.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में 6 सम्भागों में 150 स्वीकृत कार्यों में से जुलाई 08 तक 51 (34 प्रतिशत) कार्य पूर्ण, 70 निर्माणाधीन एवं 29 कार्य (19.33 प्रतिशत) प्रारम्भ नहीं किये गये। योजनान्तर्गत सर्वाधिक कार्य अजमेर सम्भाग में, 47 निर्मल घाट निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत किये गये एवं न्यूनतम कोटा सम्भाग में स्वीकृत किये गये। कार्य पूर्णता की दृष्टि से अजमेर सम्भाग में अधिकतम कार्य पूर्ण किये गये परन्तु पूर्ण कार्यों का प्रतिशत भरतपुर सम्भाग में अधिकतम रहा। अजमेर सम्भाग में 47 स्वीकृत कार्यों के बदले 16 कार्य पूर्ण किये जबकि भरतपुर सम्भाग में 17 स्वीकृत कार्यों में से 7 (41.18 प्रतिशत) कार्य पूर्ण कर लिये गये। इसी प्रकार उदयुपर सम्भाग में 28 स्वीकृत कार्यों में से 11(39.29 प्रतिशत) जयपुर सम्भाग में 27 में से 8(29.63 प्रतिशत) एवं कोटा सम्भाग में न्यूनतम स्वीकृत कार्यों में न्यूनतम 3(21.37 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये। 70 निर्माणाधीन कार्यों में से अधिकतम कार्य जयपुर एवं उदयपुर सम्भाग में क्रमशः 62.96 प्रतिशत एवं 60.71 प्रतिशत रहे। न्यूनतम निर्माणाधीन 23.40 प्रतिशत कार्य अजमेर सम्भाग में पाये गये। उदयपुर सम्भाग को छोड़कर सभी सम्भागों में कार्य आरम्भ होना शेष रहे। जिनमें सबसे अधिक अजमेर सम्भाग में 20 (42.56 प्रतिशत) कार्य जुलाई 08 तक आरम्भ नहीं किये जा सके। कार्य प्रारम्भ करने के बारे में स्थानीय कार्यकारी संस्था से जानकारी करने पर उन्होंने अवगत कराया कि कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिये जायेंगे। इसी प्रकार जयपुर, जोधपुर, भरतपुर एवं कोटा सम्भाग में क्रमशः 2.2, 2.3 कार्य आरम्भ होना शेष रहे। योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 (जुलाई 08 तक) की जिलेवार/सम्भागवार भौतिक प्रगति परिशिष्ट 'द' पर है।

2.7 **जिलेवार भौतिक प्रगति** :

2.7.1 संदर्भित वर्ष 2007–08 एवं 2008–09(जुलाई 2008) तक की जिलेवार भौतिक प्रगति परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध है। अजमेर सम्भाग के भीलवाड़ा एवं अजमेर जिलों में अन्य जिलों की तुलना में संदर्भित दोनों वर्षों में अधिकतम 19 एवं 16 कार्य स्वीकृत किये गये, जिनमें से भीलवाड़ा जिले में 19 स्वीकृत कार्यों में से 5 कार्य पूर्ण, 1 कार्य अपूर्ण पाये गये शेष 13 कार्य प्रारम्भ ही नहीं होने पाये गये। इसी तरह अजमेर जिले में कुल स्वीकृत 16 कार्यों में से 6 कार्य पूर्ण, 5 कार्य निर्माणाधीन एवं शेष 5 कार्य प्रारम्भ नहीं होने पाये गये।

2.7.2 उदयपुर सम्भाग के 5 जिलों में से उदयपुर एवं बांसवाड़ा में क्रमशः 8 एवं 7 कार्य स्वीकृत किये गये। उदयपुर जिले में स्वीकृत 8 कार्यों में से 3 कार्य पूर्ण एवं शेष 5 कार्य अपूर्ण पाये गये। इसी तरह बांसवाड़ा जिले में स्वीकृत 7 कार्योंमें से 3 कार्य पूर्ण एवं 4 कार्य निर्माणाधीन पाये गये।

2.7.3 जयपुर सम्भाग के 5 जिलों अलवर, दौसा, जयपुर, झुन्झुनु एवं सीकर जिलों में क्रमशः 6, 2, 6, 6 एवं 7 कार्य स्वीकृत हुए। सीकर जिले में अधिकतम 7 कार्यों में से 1 पूर्ण एवं 4 कार्य अपूर्ण एवं शेष 2 कार्य प्रारम्भ नहीं होने पाये गये। इसी तरह दौसा जिले में न्यूनतम स्वीकृत 2 कार्यों में से 1 कार्य पूर्ण शेष 1 कार्य प्रगति पर होना पाया गया।

2.7.4 जोधपुर सम्भाग के बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली और सिरोही में भौतिक लक्ष्य क्रमशः 3, 3, 3, 6 एवं 2 कार्यों का था। अर्थात कुल स्वीकृत 17 कार्यों में से 6 कार्य पूर्ण, 9 कार्य अपूर्ण एवं 2 कार्य प्रारम्भ नहीं होने पाये गये। कार्य प्रारम्भ नहीं होने वाले दोनों कार्य जालौर जिले में पाये गये।

2.7.5 भरतपुर सम्भाग में कुल स्वीकृत 17 कार्यों में से भरतपुर जिले को 10, करौली जिले को 3, धौलपुर एवं सवाईमाधौपुर जिले को 2–2 कार्य स्वीकृत किये गये। भरतपुर जिले को स्वीकृत अधिकतम 10 कार्यों में से 4 कार्य पूर्ण एवं 6 कार्य निर्माणाधीन पाये गये।

2.7.6 कोटा सम्भाग के चार जिलों कोटा एवं झालावाड़ जिलों को क्रमशः 5–5 एवं बून्दी व बारां जिलों को 2–2 कार्य स्वीकृत किये गये। अर्थात संदर्भित दोनों वर्षों में कुल स्वीकृत 14 कार्यों में से 3 कार्य पूर्ण, 5 अपूर्ण एवं शेष 3 कार्य बजट स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण प्रारम्भ नहीं होने पाये गये।

2.8 चयनित जिलों की भौतिक प्रगति :

2.8.1 योजनान्तर्गत अध्ययन हेतु चयनित चार जिलों यथा अजमेर, उदयपुर, झुन्झुनुं एवं पाली की वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 (जुलाई 08 तक) की भौतिक प्रगति का विवरण निम्न तालिका में उद्यत है :–

चयनित जिलों की वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 (जुलाई 08 तक) की भौतिक प्रगति

क्र. सं.	चयनित जिलों के नाम	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	निर्माणाधीन	कार्य प्रारम्भ नहीं
1	अजमेर	16	6 (37.50)	5 (31.25)	5 (31.25)
2	उदयपुर	8	3 (37.50)	5 (62.50)	–
3	झुन्झुनुं	6	2 (33.33)	4 (66.67)	–
4	पाली	6	2 (33.33)	4 (66.67)	–
	योग	**36**	**13 (36.12)**	**18 (50.0)**	**5 (13.88)**

2.8.2 उपरोक्त तालिका में चयनित जिलों की भौतिक प्रगति दर्शायी गयी है। अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में कुल स्वीकृत 36 कार्यों में से 13(36.12 प्रतिशत) कार्य जुलाई 08 तक पूर्ण कर लिये गये। शेष 18(50.0 प्रतिशत) कार्य निर्माणाधीन एवं 5(13.88 प्रतिशत) कार्य आरम्भ नहीं होना पाये गये। अधिकतम कार्य अजमेर जिले में स्वीकृत किये गये। अधिकतम पूर्ण कार्य भी अजमेर जिले में ही किये गये। उसके बाद उदयपुर में 8, झुन्झुनुं में 6 एवं पाली में 6 कार्य स्वीकृत किये गये। 5 कार्य जो प्रारम्भ नहीं किये गये वे अजमेर जिले में हैं। चयनित जिलों की पंचायत समितिवार भौतिक प्रगति परिशिष्ट 'ख' पर दी गई है।

————

अध्याय–तृतीय

अध्ययन परिणाम

3.0 अध्ययन हेतु चयनित 4 जिलों के 55 लाभार्थियों एवं 26 अधिकारी/गैर अधिकारी वर्ग से सम्पर्क कर योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों/सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई एवं योजना की उपयोगिता के बारे में विचार संकलित किये गये, जिनका विवरण इस अध्याय में दिया जा रहा है।

3.1 अध्ययन प्रतिदर्श :

3.1.1 अध्ययन हेतु 4 जिलों, 8 पंचायत समितियों एवं 11 निर्मल घाटों का चयन किया गया। अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य के लिए पंचायती राज विभाग से राज्य स्तरीय प्रलेखीय सूचनाऐं प्राप्त की गयी तथा चयनित 4 जिलों से न्यादर्श अनुसार निम्न अनुसूचियाँ भरी गयी :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	जिला प्रलेख	पंचायत समिति प्रलेख	कार्यकारी अनुसूची	अवलोकन अनुसूची	लाभार्थी अनुसूची	अधिकारी /गैर अधिकारी अनुसूची	योग
1	अजमेर	1	2	5	5	5	8(7+1)	26
2	झुन्झुनु	1	2	2	2	20	6(5+1)	33
3	पाली	1	2	3	2	20	6(4+2)	34
4	उदयपुर	1	2	2	2	10	6(5+1)	23
	योग :	**4**	**8**	**12**	**11**	**55**	**26**	**116**

3.1.2 प्रत्येक चयनित पंचायत समिति में चयनित निर्मल घाट से 10–10 लाभार्थियों से साक्षात्कार कर कुल 80 अनुसूचियाँ भरी जानी थी। अजमेर जिले की पंचायत समिति अराईं में तीन एवं भिनाय में दो घाटों का चयन किया गया परन्तु अराईं पंचायत समिति के एक निर्मल घाट पर महिलाएँ स्नान कर रही थी। उन्हीं से वार्ता कर अनुसूचियाँ भरी गयी। शेष दो निर्मल घाटों पर पानी के बावजूद 1 घाट जानवरों के लिए पानी पीने के काम आता है व दूसरे पर सर्वे दिनांक को कोई महिला उपलब्ध नहीं थी एवं भिनाय पंचायत समिति एवं उदयपुर जिले की मावली पंचायत समिति में निर्मल घाट पर वर्षा के अभाव में पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतः सर्वे दिनांक को उक्तानुसार 55 महिला लाभार्थियों से योजना के बारे में जानकारी एकत्रित की गई।

3.2 **चयनित घाट** :

अध्ययन हेतु चयनित जिले, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम/निर्मल घाट

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम/निर्मल घाट
1	अजमेर	1. अराई	1. सान्दोलिया	1.सील गांव के रास्ते पर 2.आकोड़िया गांव के रास्ते पर
			2. दादिया	1.दादिया
		2. भिनाय	1. राताकोट	1.राताकोट
			2. कटारी	1. धरमाड/खेड़ी
2	उदयपुर	1. खैरवाड़ा	1. डेरी	1. गोविन्द देव
		2. मावली	2. विरधोलिया	1. विरधोलिया
3.	झुन्झुनुं	1. उदयपुरवाटी 2. खेतड़ी	1. पौंख	1. पौंख
			2. सिरोड़	1. सिरोड़
4.	पाली	1. जैतारण	1. देवरिया	1. देवरिया
		2. बाली	1. बीजापुर	1. बीजापुर
			2. भाटून्द	1. भाटून्द

3.2.1 उक्त तालिका से स्पष्ट है कि अध्ययन हेतु चयनित चार जिलों की 8 पंचायत समितियों की 11 पंचायतों के 12 घाटों का अध्ययन हेतु चयन किया गया जबकि जिला अजमेर की पंचायत समिति, अरांई में तीन, एक पंचायत समिति भिनाय से दो घाटों का चयन किया गया है।

3.3 **निर्मल घाट के चयन की उपयुक्तता** :

3.3.1 प्राथमिकता के आधार पर निर्मल घाट निर्माण हेतु उन तालाबों/नदियों/बन्धों का चयन किया गया है जो मानदण्डों को पूरा करते हैं। सिंचाई विभाग से प्राप्त बांधों /तालाबों की भराव क्षमता की सूचना के आधार पर निर्मल घाट बनाने हेतु 4 जिलों का चयन किया गया है। चयन का आधार निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है :–

क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	स्वीकृत घाट का नाम एवं संख्या	गांव की आबादी से 1 कि.मी. की परिधि में होना	चयन का आधार	तालाब की भराव क्षमता	गांव का दीनदयाल उपाध्याय गांव की श्रेणी में होना
1	अजमेर	1. अराईं	(3) 1.सान्दोलिया, 2.सील, 3.आकोड़िया	हाँ	10 से 12 माह	10′–12′ 5′ मिट्टी 6′ पानी	नहीं
		2. भिनाय	(2) 1.राताकोट, 2.कटारी (खेड़ी)	हाँ	10 से 12 माह	10–12′	नहीं
2	उदयपुर	1. खैरवाड़ा	(1) 1. गोविन्ददेव	हाँ	9 से 12 माह	10–12′	नहीं
		2. मावली	(1) 1. विरधोलिया	हाँ	9 से 12 माह	10–12′	नहीं
3	झुन्झुनुं	1. उदयपुरवाटी	1. पौंख	हाँ	12 माह तक	18000 घन मीटर	हाँ
		2. खेतड़ी	1. सिरोड	हाँ	6 माह तक	1400 मी. टन	नहीं
4	पाली	1. जैतारण	1. देवरिया	हाँ	10 माह तक	15 फीट	हाँ
		2. बाली	1. बीजापुर	हाँ	10 माह तक	15 फीट	नहीं
			2. भाटून्द	हाँ	9 से 12 माह तक	–	हाँ

3.3.3 उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि अजमेर, उदयपुर, झुन्झुनुं एवं पाली जिले में 'निर्मित घाट' हेतु चयनित तालाब गांव से 1 कि.मी. की परिधि में है एवं इनमें पानी की भराव क्षमता 10′ से 12′ एवं उपलब्धता 9 से 12 माह तक है। झुन्झुनुं एवं पाली जिले के ग्राम जिनमें निर्मल घाट बनाये गये हैं उक्त दोनों मानदण्डों को पूरा करने के साथ–साथ दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव की श्रेणी में भी है।

3.3.4 निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जिन तालाबों/बांधों को निर्मल घाट निर्माण हेतु चयन किया गया है वे अधिकांशतः स्थानीय आवश्यकता एवं योजनान्तर्गत निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करते हैं।

3.4 सृजित परिसम्पत्ति :

3.4.1 घाट के निर्माण हेतु, जिला परिषद से प्राप्त स्वीकृत मॉडल के अनुसार, 4 लैंडिग्स, 20 सीढ़ियाँ एवं 6 फीट का प्लेटफॉर्म बनाया जाना प्रस्तावित था तथा घाट पर दोनों ओर 6′ X 6′ के दो चैन्ज रूम बनाया जाना भी योजनान्तर्गत प्रस्तावित था। क्षेत्रीय कार्य के आधार पर निर्मित घाटों का विवरण निम्न तालिकावार दर्शाया गया है :–

सृजित परिसम्पत्ति (निर्मल घाट) का विवरण

क्र. सं.	जिला / पंचायत समिति	घाट का नाम	घाट की लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊचाई	सीढ़ियाँ / लैंडिग्स	चैन्ज रूम	चबूतरा (प्लेटफॉर्म)
1	अजमेर (अरांई)	1.सान्दोलिया (सील गांव के रास्ते पर)	चौ. 20′	10	चैन्ज रूम के स्थान पर घाट के बीच में डेढ़ फीट ऊँची दीवार का निर्माण किया गया है।	27′X25′
		2.सान्दोलिया (आकोड़िया गांव के रास्ते पर)	चौ. 17′	—	चैन्ज रूम के स्थान पर घाट के बीच में डेढ़ फीट ऊँची दीवार का निर्माण किया गया है।	27′X25′
		3.दादिया	ल.Xचौ. 27′X25′	17	घाट को बीच में से दो भागों में 2.6′ की दीवार बनाकर पार्टीशन बनाया गया है।	27′X25′
	भिनाय	1.खेड़ी	70′ (चौ.) 12 (ऊं.)	9 (35′X1′X 1′) (ल.Xचौ.X ऊं.)	घाट के बीच में से ढाई फीट की दीवार का निर्माण कर पार्टीशन किया गया है।	—
		2.राताकोट	56′ (ल.) 15 (ऊं.)	9 प्रत्येक 3 सीढ़ी के बाद 1 लैडिंग्स 2. 6′ से 3′ चौडी	—	28′X28′
2	उदयपुर (खैरवाड़ा)	1.गोविन्ददेव		13	2 चैन्ज रूम (मय दरवाजे) सामने की और आड़ के लिए दीवार	
	(मावली)	1.विरधोलिया	50′	13	2 चैन्ज रूम (मय दरवाजे) सामने की और आड़ के लिए दीवार	
3	झुन्झुनुं (उदयपुरवाटी)	1.पौंख	—	पहले से निर्मित थी।	2 (सामने की और 50′X4.5′ की दीवार)	—
	(खेतड़ी)	1.सिरोड	—	पहले से निर्मित थी	2	
4	पाली (जैतारण)	1.देवरिया	20′ (चौड़ा)	हाँ	1 (अपूर्ण) प्लिन्थ लेवल तक	
	(बाली)	1.बीजापुर	55′ (चौड़ा)	हाँ 2′X6′ (चौ.Xऊं.)	नहीं	—

3.4.2 उपरोक्त तालिका में चयनित जिलों में सृजित परिसम्पत्ति 'निर्मल घाट' का अवलोकन उपरान्त विश्लेषण निम्नानुसार है।

1(i) अजमेर जिले की अरांई पंचायत समिति के चयनित ग्राम सान्दोलिया में सील गांव के रास्ते पर स्थित तालाब/नाड़ी पर निर्मल घाट का निर्माण करवाया गया है। तालाब की भराव क्षमता 12′ X 13′ है व 10′ गहरा है। 10′ X 10′ के दो पार्टीशन में घाट पर चबूतरा का निर्माण करवाया गया है। योजना के तहत् 10′ स्टेप का निर्माण करवाया गया है। घाट के ऊपर 27′ X 25′ का चबूतरा बनाया गया है। घाट की चौड़ाई 20′ है जिसे बीच में डेढ़ फीट ऊंची दीवार बनाकर दो भागों में विभक्त कर दिया है। घाट के निर्माण हेतु भीलवाड़ा के लाल पत्थर का उपयोग किया गया है।

(ii) अरांई में ही दूसरा घाट आकोड़िया गांव के रास्ते में निर्मित किया गया है। वह भी सान्दोलिया में निर्मित घाट के पैटर्न पर तैयार किया गया है। तीसरा घाट दादिया गांव में बनवाया गया है। चूंकि इस घाट की ऊंचाई 17′ है। अतः 17′ X 17′ सीढ़ियाँ बनायी गयी है। घाट की चौड़ाई के बराबर 27′X 25′ चौड़ा चबूतरा बनाकर उसे 2.6′ की दीवार से दो भागों में विभक्त कर दिया है। यहाँ भी लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। निर्माण कार्य चूंकि अच्छा किया है परन्तु चैन्ज रूम का निर्माण, प्रावधान कम होने के कारण नहीं हो सका है, जो अत्यावश्यक था।

(iii) अजमेर जिले की भिनाय पंचायत समिति की कंराटी ग्राम पंचायत/खेड़ी गांव में निर्मल घाट का निर्माण करवाया गया है। यह घाट धर्माऊ नाड़ी पर बनाया गया है, जिसकी चौड़ाई 70′ है। जिसे ढ़ाई फीट की दीवार बनाकर दो भागों में विभक्त किया गया है। घाट की ऊंचाई लगभग 12′ रखी गयी है। कुल 9 सीढ़ियाँ बनायी गयी है। प्रत्येक तीन सीढ़ी के बाद 2′ की चौड़ाई की लैंडिंग रखी है। सीढ़ियों की लम्बाई 30–35 फीट है एवं चौडाई 1′ एवं 1′ ऊंचाई है। घाट के निर्माण कार्य हेतु लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। कार्य की गुणवत्ता अच्छी है परन्तु स्वीकृत मॉडल के अनुरूप, चैन्ज रूम का निर्माण एवं 9 सीढ़ियाँ ही बनायी गयी है। घाट को दो भागों में बांट देने का औचित्य एक आड के रूप में हो सकता है परन्तु यह उतना कारगर नहीं प्रतीत होता जितना चैन्ज रूम का बनाना।

(iv) भिनाय पंचायत समिति में ही राताकोट गांव के पीवणियां तालाब पर भी योजनान्तर्गत घाट का निर्माण करवाया गया है। इस घाट की लम्बाई 56′ तथा ऊंचाई 15′ है। यह ठीक उसी प्रकार बनाया है जिस प्रकार खेड़ी गांव में। यहाँ लाल पत्थर के स्थान पर कोटा स्टोन का उपयोग किया है परन्तु घाट पर निर्माण कार्य साफसुथरा एवं अच्छा है।

2(i) जिला उदयपुर की दो पंचायत समितियों में क्रमशः मावली में ग्राम विरधोलिया एवं पंचायत समिति खैरवाड़ा में ग्राम गोविन्दव में घाट का निर्माण करवाया गया है। खैरवाड़ा में स्वीकृत मॉडल के अनुसार सीढ़ीवार घाट का निर्माण एवं चैन्ज रूम का निर्माण करवाया गया है जो योजना पूर्व ग्रामीण महिलाओं को उपलब्ध नहीं थी। सृजित परिसम्पत्ति की गुणवत्ता अच्छी है। महिलाऐं सुरक्षित एवं मर्यादित अनुभव करती है। मावली में निर्मल घाट 50′ चौड़ा है एवं घाट पर 13 सीढ़ीयों का निर्माण किया गया है। दोनों तरफ एवं सामने से आड़ के दीवार हैं। ऊपरी भाग पर दो बाथरूम मय दरवाजों के निर्मित करवाये गये हैं।

3(i) झुन्झुनुं जिले की पंचायत समिति उदयपुरवाटी में पौख ग्राम में निर्मित निर्मल घाट पर सीढीयाँ पूर्वतः बनी हुई थी। योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि से दोनों ओर एक–एक चैन्ज रूम तथा सामने की तरफ 4.5 फीट ऊंची तथा 50 फीट लम्बी दीवार बनायी गयी है। अन्य एक घाट खेतड़ी पंचायत समिति के सिहोड़ ग्राम में घाट पर सीढ़ीयाँ पहले से निर्मित थी। योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से चारों ओर चारदीवारी एवं दो चैन्ज रूम बनवाये गये हैं।

4(i) पाली जिले की पंचायत समिति, जैतारण ग्राम देवरिया में निर्मित घाट 20′ चौड़ा है। इस पर स्वीकृत मॉडल अनुसार सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया तथा स्वीकृत राशि कम पड़ने के कारण चैन्ज रूम प्लिन्थ लेवल तक लाकर अपूर्ण छोड़ दिया गया। इसी प्रकार पंचायत समिति बाली में बीजापुर ग्राम में 55′ चौड़े घाट पर सीढ़ीयों का निर्माण करवाया गया है। स्थानीय आवश्यकता एवं विधायक के सुझाव अनुसार 2′ चौड़ी एवं 6′′ ऊंचाई की सीढ़ीयां बनायी गयी है। स्वीकृत राशि कम होने के कारण चैन्ज रूम का निर्माण नहीं हो सका है। अतः सुझाव है कि स्वीकृत कार्य की लागत के अनुसार कार्य पूर्ण करवाने हेतु पंचायत समितियों या ग्रामीण विभाग की अन्य योजनाओं से पूर्ण करवाया जावें ताकि निर्मित परिसम्पत्ति का उपयोग हो सके।

3.5 निर्माण (कार्यकारी अभिकरण) :

3.5.1 निर्मल घाट का निर्माण कार्य अधिकांशतया ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी की देखरेख में ही करवाया जाता है।

3.6 कार्यों की गुणवत्ता :

3.6.1 चयनित जिलों में निर्मित घाटों का अधिकारियों द्वारा अवलोकन करने पर गुणवत्ता के विषय में जो जानकारी प्राप्त हुई, का विवरण निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :–

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	कार्यों की की संख्या	कार्य की गुणवत्ता	
				सन्तोषजनक	असन्तोषजनक
1	अजमेर	1. अराई	3	3	—
		2. भिनाय	2	2	—
2	झुन्झुनु	1. उदयपुरवाटी	1	1	—
		2. खेतड़ी	1	1	—
3	पाली	1. जैतारण	1	1	—
		2. बाली	2	2	—
4	उदयपुर	1. खैरवाड़ा	1	1	—
		2. मावली	1	1	—
		योग :	**12**	**12**	**—**

3.6.2 उक्त तालिका से स्पष्ट है कि घाट निर्माण की गुणवत्ता सभी चयनित जिलों में सन्तोषजनक पाई गयी।

3.7 घाट निर्माण का प्रभाव :

3.7.1 घाट निर्माण से पूर्व एवं घाट निर्माण के पश्चात् स्नान हेतु आने वाली महिलाओं की संख्या का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है :—

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित निर्मल घाटों की संख्या	महिलाओं की संख्या							
			घाट निर्माण से पूर्व				घाट निर्माण के बाद			
			15—20	20—30	50—60	निल	25—30	40—50	75—90	निल
1	अजमेर	5	5	—	—	—	2	—	—	3
2	उदयपुर	2	—	2	—	—	—	2	—	—
3	झुन्झुनुं	2	2	—	—	—	2	—	—	—
4	पाली	3	—	—	2	1	—	—	2	1
	योग :	**12**	**7**	**2**	**2**	**1**	**4**	**2**	**2**	**4**

3.7.2 उपरोक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अजमेर जिले में चयनित 5 निर्मल घाटों पर योजना से पूर्व औसतन 15–20 महिलाएँ आती थी वहीं घाट निर्माण के पश्चात् 2 घाटों पर आने वाली महिलाओं की औसतन संख्या 25–30 पायी गयी। अर्थात् लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि होना पाया गया। शेष 3 घाटों (अरांई का सांदोलिया, भिनाय का ग्राम खेड़ी एवं रातकोटा) पर घाट निर्माण के पश्चात् पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण इनका उपयोग नहीं होना पाया गया।

3.7.3 उदयपुर जिले के चयनित 2 घाटों पर निर्माण से पूर्व महिलाओं की संख्या औसतन 20–30 थी, जो घाट निर्माण के पश्चात् बढ़कर 40–50 हो गई। उदयपुर जिले में महिलाओं की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि होना पाया गया।

3.7.4 झुन्झुनुं जिले में चयनित दोनों घाटों पर भी लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि होना पाया गया।

3.7.5 पाली जिले के चयनित तीन घाटों में से 2 घाटों पर निर्माण से पूर्व आने वाली महिलाओं की संख्या 50–60 पाई गई, जो घाट निर्माण के पश्चात् बढ़कर 75–90 हो गई। पाली जिले के बाली पंचायत समिति के भाटून्द घाट का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अभी उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि घाटों पर स्नान करने वाली महिलाओं की संख्या में सामान्य वृद्धि ही दृष्टिगत होती है।

3.8 सृजित परिसम्पत्ति (निर्मल घाट) की उपयोगिता :

3.8.1 चयनित घाट पर उपलब्ध लाभार्थी महिलाओं से घाट निर्माण की उपयोगिता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने अवगत कराया कि घाट निर्माण से पूर्व भी घाट पर स्नान के लिए आती थी लेकिन वे खुले में ही तालाब के किनारे पर स्नान करती थी या फिर रेतीले ढलाननुमा घाट पर बड़े–बड़े पत्थरों पर बैठकर स्नान करती थी। 20 प्रतिशत महिलाओं ने अवगत कराया कि वे पानी घर पर ले जाकर स्नान करती थी। घाट निर्माण से उनकी उपरोक्त समस्याओं का निराकरण हो गया एवं घाट निर्माण से बेहद खुश हैं। घाट बन जाने के बाद से सभी आयु वर्ग की महिलाओं/बालिकाओं द्वारा इसका नियमित उपयोग किया जा रहा है। लाभार्थियों की (आयु वर्गानुसार) संख्या निम्न तालिका से स्पष्ट है :–

क्र. सं.	चयनित जिला का नाम	चयनित पंचायत समिति का नाम	लाभार्थी महिलाएँ/ बालिकाएँ	आयु वर्गानुसार संख्या			
				0–15	16–30	31–45	46 एवं अधिक
1	अजमेर	1. अरांई	5	–	4	–	1
		2. भिनाय	–	–	–	–	–
2	झुन्झुनुं	1. उदयपुरवाटी	10	–	1	6	3
		2. खेतड़ी	10	–	2	8	–
3	पाली	1. जैतारण	10	–	2	7	1
		2. बाली	10	–	1	4	3
4	उदयपुर	1. खैरवाड़ा	10	–	2	8	–
		2. मावली	–	–	–	–	–
		योग :	**55**	**2**	**12**	**33**	**8**
		प्रतिशत :	**100.00**	**3.64**	**21.82**	**60.00**	**14.54**

3.8.2 उक्त तालिका से स्पष्ट है कि घाट का अधिकतम उपयोग 31 से 45 आयु वर्ग की 33(60.00 प्रतिशत) महिलाओं द्वारा किया जाता है। तदन्तर 16 से 30 आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या 12(21.82 प्रतिशत) है। सबसे कम उपयोगकर्ता 0–15 आयु वर्ग की महिलाएँ/बालिकाएँ है। इसका कारण उनका स्कूल जाना/आयु कम होना है।

3.9 सृजित परिसम्पत्ति की जातिवार उपयोगिता :

3.9.1 घाट का उपयोग करने में किसी प्रकार की जातिगत आपत्ति नहीं है। सभी जाति की महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा इसका उपयोग नियमित रूप से किया जा रहा है। सारणी से वस्तुस्थिति का अवलोकन किया जा सकता है।

(जातिवार संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित पंचायत समिति	लाभार्थी महिलाएं/ बालिकाएं	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	अन्य
1	अजमेर	अरांई	5	2	—	3	—	—
		भिनाय	—	—	—	—	—	—
2	झुन्झुनु	उदयपुरवाटी	10	2	3	5	—	—
		खेतड़ी	10	4	3	2	1	—
3	पाली	जैतारण	10	6	—	4	—	—
		बाली	10	9	—	1	—	—
4	उदयपुर	खैरवाड़ा	10	6	—	—	3	1
		मावली	—	—	—	—	—	—
		योग :	**55**	**29**	**6**	**15**	**4**	**1**
		प्रतिशत :	**100.00**	**52.73**	**10.91**	**27.27**	**7.27**	**1.82**

3.9.2 उपरोक्त तालिका के अनुसार चयनित 55 लाभार्थियों में से 29 (52.73 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 15(27.27 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग, 6(10.91 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति, 4(7.27 प्रतिशत) सामान्य एवं 1(1.82 प्रतिशत) अन्य जाति की हैं। इससे स्पष्ट है कि निर्मित परिसम्पत्ति का उपयोग सबसे अधिक अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा किया जा रहा है। हालांकि निर्मल घाट योजना प्रमुखतः ग्रामीण महिलाओं के स्नान की उचित सुविधा को ध्यान में रखकर लागू की गयी है तथापि अवलोकन के दौरान पाया गया कि इसका उपयोग पुरूषों/बालकों द्वारा भी किया जाता है। यदि घाट खाली होता है तो वे लोग भी नहा लेते हैं। अन्यथा नहीं। अधिकांश महिलाएं सूर्योदय से पूर्व ही घाट पर नहाकर चली जाती हैं।

3.10 कार्यक्रम के संबंध में अधिकारी/गैर अधिकारी वर्ग की विस्तृत प्रतिक्रिया :

3.10.1 चयनित 26 उत्तरदाताओं (अधिकारी/गैर अधिकारी वर्ग) की निर्मित निर्मल घाट एवं उपलब्ध सुविधा से सकारात्मक प्रतिक्रिया के बारे में पूछने पर निम्न प्रत्युत्तर दिये।

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	उत्तरदाता अधिकारी/ गैर अधिकारी वर्ग	नहाने एवं कपड़े धोने की सुविधा	घाट पर फिसलन न होना	गन्दा पानी पुनः तालाब में नहीं जाना	सुरक्षित एवं सम्मानजनक स्थान उपलब्ध होना	स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना	Estimate अनुसार राशि स्वीकृत
1	अजमेर	8	—	—	—	7	—	—
2	झुन्झुनु	6	5	—	—	1	—	—
3	पाली	6	4	4	1	1	3	—
4	उदयपुर	6	1	—	—	3	—	2
	योग :	**26**	**10**	**4**	**1**	**12**	**3**	**2**

3.10.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित 26 उत्तरदाताओं में से अधिकांश ने एक से अधिक प्रभाव बताये हैं, जो निम्न प्रकार से हैं :–

(i) 26 में से 10 उत्तरदाताओं ने बतलाया कि निर्मल घाट के निर्माण से महिलाओं को नहाने एवं कपड़े धोने की सुविधा उपलब्ध हुई है।

(ii) 26 में से 4 की राय थी कि, सीढ़ियाँ एवं घाट निर्माण से फिसलन नहीं रहती।

(iii) 26 में से 1 ने यह भी विचार व्यक्त किया कि अब गंदा पानी सड़क की और से बहकर तालाब में नहीं आता।

(iv) 26 में से 12 उत्तरदाताओं ने बतलाया कि ग्रामीण महिलाओं को स्नान के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक स्थान उपलब्ध हुआ है।

(v) 26 में से 3 उत्तरदाताओं का यह भी मत था कि कुछ समय के लिए योजनान्तर्गत निर्माण कार्य में स्थानीय पुरूषों/महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है।

(vi) 26 में से 2 उत्तरदाताओं का सुझाव था कि घाटों का निर्माण एस्टीमेट के अनुसार अथवा मानदण्डानुसार राशि स्वीकृत की जानी चाहिए।

3.11 **कार्यक्रम के संबंध में लाभार्थियों की प्रतिक्रिया** :

3.11.1 क्षेत्र कार्य के दौरान ग्राम की विभिन्न महिलाओं से घाट के निर्माण एवं उपयोगिता के संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि योजना उपयोगी है। एक अच्छे उद्धेश्य के साथ प्रारम्भ की गयी। योजना से ग्रामीण महिलाओं को स्नान हेतु एक सुरक्षित एवं सम्मानजनक स्थान उपलब्ध हुआ है। अन्य सुविधाएँ जो उपलब्ध हुई हैं, वे निम्न प्रकार है :–

(i) घाट निर्माण से स्थान की पर्याप्त उपलब्धता होने से समय की बचत हुई है, अब एक साथ कई महिलाएं नहा–धो लेती हैं और अन्य कार्य सम्पन्न कर लेती है।

(ii) परिवार या आस–पड़ौस में मृत्यु होने पर 'नहान' के लिए घाट का उपयोग करते हैं।

(iii) घाट पर Change Room बनने से नहाने के बाद कपड़े बदलने की अच्छी सुविधा मिली है। कम उम्र की बहुएं या बेटियाँ तो स्नान के लिए भी इन कमरों का उपयोग करती हैं।

(iv) ग्रामवासियों के लिए व्रत–त्योंहार, दाह–संस्कार कार्य के समय इन घाटों की अहम उपयोगिता है।

————

अध्याय–चतुर्थ

कमियाँ एवं सुझाव

4.1 योजना की कमियाँ एवं सुझाव :

4.1.1 योजना क्रियान्वयन के दौरान कार्यकारी विभाग के सरकारी वर्ग एवं लाभ प्राप्तकर्ता महिलाओं आदि से अनुभूत समस्याओं के संबंध में मूल्यांकन दल द्वारा जानकारी प्राप्त करने पर उनके द्वारा अनुभूत कमियों के साथ उनके समुचित निराकरण हेतु व्यावहारिक सुझाव आमन्त्रित करने पर उनका संकलन करवाया गया। प्रस्तुत अध्याय में कार्यक्रम संचालन में अनुभूत कमियों के साथ–साथ उनके निराकरण हेतु सुझाव भी दिये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

(i) बजट आवंटन में विलम्ब एवं अपर्याप्तता :

विकास अधिकारियों से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति आधार पर वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी की गयी। अतः कार्य पूर्ण होने में अधिक समय लगा एवं आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग वित्तीय वर्ष में नहीं हो सका। स्वीकृत मॉडल के अनुसार, परिसम्पत्ति के निर्माण हेतु राशि अपर्याप्त रही। अतः सुझाव है कि वित्तीय स्वीकृति समय पर मिलनी चाहिए एवं मानदण्डानुसार कार्य की लागत का मुआयना करवाकर ही पर्याप्त राशि आवंटित की जानी चाहिए।

(ii) पानी की अपर्याप्तता :

जिन तालाबों/नदियों या बांधों पर निर्मल घाट का निर्माण करवाया है उनमें नहाने योग्य पर्याप्त पानी नहीं है। निर्माण से पूर्व तालाब/बांध की सफाई/गन्दी मिट्टी को निकलवाकर उसकी भराव क्षमता को बढ़ाना चाहिये ताकि घाट पर वर्षभर पानी उपलब्ध हो। अजमेर की भिनाय पंचायत समिति में निर्मल घाट में पानी की अनुपलब्धता के कारण सर्वे दिनांक 19.12.08 को ही घाटों का उपयोग नहीं होने से लाभार्थी उपलब्ध नहीं हो सके। इसी प्रकार झुन्झुनुं जिले में खेतड़ी पंचायत समिति के गांव सिहोड़ पर निर्मित घाट के अवलोकन के दौरान पाया कि घाट जिस तालाब पर निर्मित है, सर्वे के दौरान उस तालाब में पानी नहीं था। इससे स्पष्ट है कि या तो चयन के समय मानदण्डों की अवहेलना की गयी या तालाब में पेंदे में मिट्टी आदि जमा थी, जिसमें बरसात में पानी की उपलब्धता/आवक अपर्याप्त रही और वह तालाब/नाड़ी बाद में सूख गये, इससे इसका आंशिक उपयोग ही हो सका। अतः मानदण्ड पूरा करने वाले घाट/तालाबों का ही चयन किया जाना प्रस्तावित है।

(iii) **पर्यवेक्षण का अभाव** :

निर्माण कार्यों की देखभाल का जिम्मा किसी तकनीकी अधिकारी को कार्य स्वीकृति के समय नहीं सौंपा गया इससे कार्य का सामयिक निरीक्षण, पर्यवेक्षण का अभाव पाया गया। अतः कार्यक्रम के कुशल क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर तकनीकी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करवाया जावे।

(iv) **मॉडल अनुसार निर्माण का अभाव** :

स्वीकृत मॉडल के अनुरूप निर्मल घाटों का निर्माण कार्य नहीं हुआ। चैन्ज रूम का प्रावधान, जो इस योजना का घाट निर्माण के साथ–साथ अहम उद्धेश्य था, जो उदयपुर एवं झुन्झुनु जिले को छोड़कर कहीं भी पूरा नहीं हो सका। निर्माण कार्य आरम्भ करने से संबंधित दायित्वों का समुचित सुनिश्चियन कर लेना चाहिए, निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी अनुमान करने वाले अधिकारी का दायित्व सुनिश्चित कर लेने के साथ–साथ यह भी आवश्यक है कि निर्माण कार्य की प्रगति, पर्यवेक्षण देखने का दायित्व किस पर होगा। ताकि निर्माण कार्य में गुणवत्ता भी रहे। निर्माण अभिकरण के साथ–साथ यदि निर्माण कार्य स्वीकृत मॉडल के अनुरूप नहीं है तो अधिकारी का भी दायित्व सुनिश्चित किया जा सके। वहाँ निर्माण अभिकरणों को इस बात के लिए बाध्य किया जाना चाहिये कि अपने खर्चों से उन कमियों को पूरा करवायें और उन्हें उपयोग स्तर पर सुपुर्द करें।

(v) **सफाई एवं मरम्मत हेतु प्रावधान का अभाव** :

अवलोकन के दौरान पाया कि घाट पर स्नान एवं कपड़े धोने पर साबुनयुक्त पानी बहकर पुनः तालाब में ही जाता है। उसकी निकासी का उचित प्रबन्धन नहीं है जबकि योजना की रूपरेखा में ही इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अतः गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये एवं निर्माण के समय रही इस खामी को निर्माण अभिकरण को तुरन्त दुरस्त करवाया जाना चाहिये एवं भविष्य में घाट की सफाई एवं टूटफूट एवं मरम्मत एवं प्रावधान रखा जाना चाहिये ताकि सृजित सम्पत्ति स्थायी रूप से उपयोग में लेने लायक रह सके।

(vi) **गांव से घाट तक आने जाने के लिए सड़क का प्रावधान** :

गांव से घाट तक आने जाने के मार्ग को सुगम बनाने हेतु सड़क का निर्माण कराया जाना चाहिये ताकि जिस उद्धेश्य से योजना बनायी गयी है, उद्धेश्य की पूर्ति हो सके। अतः प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना जैसी अन्य योजना के साथ डवटेल किया जाना चाहिए था।

(vii) **विद्युत कनेक्शन का अभाव** :

घाट पर बिजली नहीं होने के कारण उसका उपयोग रात/शाम को नहीं किया जा सकता। यद्यपि अधिकांशतः ग्रामवासी महिलाएं दिन में ही घाट पर अपना कार्य निपटाती है, परन्तु यदि बिजली की व्यवस्था हो तो किन्हीं आवश्यक परिस्थितियों में इसका उपयोग रात्रि को भी किया जा सकता है।

(viii) **पुरूष एवं महिलाओं के लिए पृथक–पृथक घाट का निर्माण** :

यद्यपि यह योजना केवल ग्रामीण महिलाओं के स्नान को सुविधाजनक बनाने हेतु एवं निजता बनाये रखने के लिए बनायी गयी है परन्तु अन्य कोई घाट न होने के कारण कहीं–कहीं पुरूष वर्ग भी घाट का उपयोग करते हैं। अरांई पंचायत समिति में घाट को बीच में से दीवार बनाकर दो भागों में बांट दिया गया है ताकि एक ओर महिलाएं एवं दूसरी ओर पुरूष स्नान कर सकें।

(ix) **एनीकट के निर्माण पर रोक** :

खेतड़ी पंचायत समिति में सिरोड़ ग्राम में जिस तालाब या बांध पर घाट का निर्माण हुआ है उसके आसपास चारों और छोटे–छोटे एनीकट बने हुए हैं। एनीकट बनने से पानी की आवक अवरूद्ध होती है। अतः एनीकट बनाने से रोक लगायी जावे ताकि बरसात के पानी की आवक में व्यवधान न हो औरसृजित सम्पत्ति (घाट) का पूरा उपयोग वर्षभर हो सके।

4.1.2 संक्षेप में निर्मल घाट योजना एक अच्छे उद्धेश्य के साथ प्रारम्भ की गयी योजना है। इसके निर्माण से महिलाओं के स्नान करने की सुविधा एवं इससे ग्रामीण महिलाओं की निजता (Privacy) बनी रहती है। गांव की प्रबुद्ध महिलाओं को आगे आकर घाट पर सफाई रखने के लिए सभी महिलाओं को प्रेरित करना चाहिये तथा गन्दे पानी की निकासी का उचित प्रबन्धन किया जाना चाहिये। घाट के साथ निर्मित चेन्ज रूम को कपड़े बदलने के रूप में काम में न लाकर नहाने के उपयोग में लिया जाता है। निर्मित परिसम्पत्ति का प्रयोग व उपयोग किस प्रकार किया जाना है यह ग्रामवासियों की सोच एवं मानसिकता पर आधारित है। योजना की महत्ता एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि समय पर जारी करना एवं पंचायत संसाधनों/अन्य योजनाओं से परिसम्पत्ति का निर्माण समय पर एवं सुविधायुक्त और गुणवत्तायुक्त हो सके। अध्ययन में दिये गये सुझावों की क्रियान्विति से इस कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

———————

परिशिष्ट 'अ'

पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित 'निर्मल घाट योजना' के जिलेवार/पंचायत समितिवार भौतिक लक्ष्य वर्ष 2007–08

क्र. सं.	सम्भाग	जिला	पं.स.	ग्रा.पं. का नाम	गांव का नाम
1	अजमेर	अजमेर	भिनाय	राताकोट	राताकोट
			अराई	सान्दोलिया	सान्दोलिया
					चाकलो का बाडा
				दादिया	दादिया
			भिनाय	कटारी	धरमाड़
			जवाजा	सूरजपुरा	पीथावास
		भीलवाड़ा	शाहपुरा	खामोर	खामोर
			माण्डल	माण्डल	माण्डल
				मानपुरा	मानपुरा
			आसीन्द	लाहुडा	लाहुडा
			सुवाणा	घुरला	घुरला
			जहाजपुर	आमल्दा	रजवास
		नागौर	डीडवाना	भदलिया	भदलिया
		टोंक	देवली	राजमहल	राजमहल
			अलीगढ	पायगा	आली
			टोंक	पीपलू	पीपलू
2	उदयपुर	बांसवाड़ा	बागिदौरा	बडोदिया	बडोदिया
			तलवाडा	उमराई	उमराई
		चित्तौड़गढ़	बेगू	खेडी	नाल
		डूंगरपुर	सिमलवाडा	माडली	माडली
			सागवाडा	बिलूडा	बिलूडा
		राजसमन्द	खमनोर	खमनोर	मोलेला
			आमेट	सरदारगढ	मनोहर
		उदयपुर	मावली	विरधोलिया	विरधोलिया
			झाडौल	गोराणा	गोराणा
			खैरवाडा	डेरी	गोविन्ददेव

..... निरन्तर

क्र. सं.	सम्भाग	जिला	पं.स.	ग्रा.पं. का नाम	गांव का नाम
3	जयपुर	अलवर	रामगढ़	खेडी	डोली
			मुण्डावर	राजवाडा	राजवाडा
		दौसा	महवा	कोट	कोट
		जयपुर	चाकसू	थली	थली
			दूदू	आकोदा	आकोदा
		झुन्झुनू	उदयपुरवाटी	पौंख	पौंख
			खेतडी	सिरोड	सिरोड
		सीकर	खण्डेला	कैरपुरा	सदेलीपुरा
			नीमकाथाना	गावडी	गवाई कुण्ड
4	जोधपुर	बाड़मेर	शिव	शिव	शिव
		जालौर	आहोर	निमला	गुढारामा
		जोधपुर	भोपालगढ	आसोप	आसोप
		पाली	बाली	बीजापुर	बीजापुर
			जैतारण	देवरिया	देवरिया
		सिरोही	पिण्डवाडा	नयासडवाडा	नयासडवाडा
5	भरतपुर	भरतपुर	नगर	पालका	पालका
				जयश्री	मानपुर
				कैथवाडा	कैथवाडा
		धौलपुर	धौलपुर	विश्नौदा	विश्नौदा
		करौली	करौली	मांची	मांची
		सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	लावाडा	लावाडा
6	कोटा	बारां	अटरू	जीरोद	जीरोद
		बून्दी	के.पाटन	करवाल्या की झौंपड़ी	गोडक्या बालाजी
		झालावाड़	बकानी	रटलाई	रटलाई

परिशिष्ट 'ब'

पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित 'निर्मल घाट योजना' अन्तर्गत वर्ष 2007–08 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	सम्भाग	जिला	वित्तीय प्रगति (राशि लाखों में)		भौतिक प्रगति		
			आवंटन राशि	व्यय	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	प्रगति पर कार्यों की संख्या
1	अजमेर	अजमेर	9.00	7.50	6	5	1
		भीलवाड़ा	9.00	5.10	6	2	4
		नागौर	1.50	1.50	1	1	–
		टोंक	4.50	4.50	3	3	–
		योग :	**24.00**	**18.60**	**16**	**11**	**5**
2	उदयपुर	बांसवाड़ा	3.00	3.00	2	2	–
		चित्तौड़गढ़	1.50	1.25	1	–	1
		डूंगरपुर	3.00	1.50	2	–	2
		राजसमन्द	3.00	1.50	2	1	1
		उदयपुर	4.50	4.50	3	3	–
		योग :	**15.00**	**11.75**	**10**	**6**	**4**
3	जयपुर	अलवर	3.00	3.00	2	–	2
		दौसा	1.50	1.50	1	1	–
		जयपुर	3.00	1.90	2	–	2
		झुन्झुनू	3.00	3.00	2	2	–
		सीकर	3.00	0.40	2	–	2
		योग :	**13.50**	**9.80**	**9**	**3**	**6**
4	जोधपुर	बाड़मेर	1.50	0.75	1	–	1
		जालौर	1.50	0.70	1	–	1
		जोधपुर	1.50	1.50	1	1	–
		पाली	3.00	3.00	2	–	2
		सिरोही	1.50	1.03	1	–	1
		योग :	**9.00**	**6.98**	**6**	**1**	**5**
5	भरतपुर	भरतपुर	4.50	3.50	3	1	2
		धौलपुर	1.50	1.50	1	1	–
		करौली	1.50	1.00	1	–	1
		सवाईमाधोपुर	1.50	0.80	1	–	1
		योग :	**9.00**	**6.80**	**6**	**2**	**4**
6	कोटा	बारां	1.50	1.50	1	1	–
		बून्दी	1.50	1.50	1	1	–
		झालावाड़	1.50	1.50	1	1	–
		योग :	**4.50**	**4.50**	**3**	**3**	**–**
		महायोग :	**75.00**	**58.43**	**50**	**26**	**24**

परिशिष्ट 'स'

निर्मल घाट योजना का मूल्यांकन योजनान्तर्गत
वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 (जुलाई 08 तक)
जिलेवार वित्तीय प्रगति

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	सम्भाग का नाम	जिले का नाम	कुल आवंटन	कुल व्यय	प्रतिशत
1	अजमेर	अजमेर	16.50	8.25	50.00
		भीलवाड़ा	18.75	8.70	46.40
		नागौर	2.25	1.50	66.67
		टोंक	9.75	7.60	77.95
		योग :	47.25	26.05	55.13
2	उदयपुर	बांसवाड़ा	6.75	9.00	133.33
		चित्तौड़गढ़	3.00	4.00	133.33
		डूंगरपुर	5.25	1.50	28.57
		राजसमन्द	5.25	6.00	114.86
		उदयपुर	8.25	5.45	66.06
		योग :	28.50	25.95	91.05
3	जयपुर	अलवर	6.00	3.00	50.00
		दौसा	2.25	1.60	71.11
		जयपुर	6.00	5.40	90.00
		झुन्झुनु	6.00	3.00	50.00
		सीकर	6.75	0.50	0.07
		योग :	27.00	13.50	50.00
4	जोधपुर	बाड़मेर	3.00	0.75	0.25
		जालौर	3.00	1.25	41.66
		जोधपुर	3.00	1.50	50.00
		पाली	6.00	3.00	50.00
		सिरोही	2.25	1.03	45.78
		योग :	17.25	7.53	43.65
5	भरतपुर	भरतपुर	9.75	7.00	71.79
		धौलपुर	2.25	1.70	75.55
		करौली	3.00	1.00	33.33
		सवाईमाधोपुर	2.25	1.50	66.67
		योग :	17.25	11.20	64.93
6	कोटा	कोटा	3.75	0.00	0.00
		बून्दी	2.25	1.50	66.67
		झालावाड़	4.50	2.55	56.67
		बारां	2.25	2.05	91.11
		योग :	12.75	6.10	47.84
		महायोग :	150.00	90.33	60.22

परिशिष्ट 'द'

निर्मल घाट योजना का मूल्यांकन योजनान्तर्गत
वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 (जुलाई 08 तक)
जिलेवार भौतिक प्रगति

क्र.सं.	सम्भाग का नाम	जिले का नाम	स्वीकृत संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	निर्माणाधीन कार्यों की संख्या	प्रारम्भ नहीं
1	अजमेर	अजमेर	16	6	5	5
		भीलवाड़ा	19	5	1	13
		नागौर	2	1	1	0
		टोंक	10	4	4	2
		योग :	**47**	**16 (34.04)**	**11 (23.40)**	**20 (42.56)**
2	उदयपुर	बांसवाड़ा	7	3	4	0
		चित्तौड़गढ़	3	1	2	0
		डूंगरपुर	5	2	3	0
		राजसमन्द	5	2	3	0
		उदयपुर	8	3	5	0
		योग :	**28**	**11 (39.29)**	**17 (60.71)**	**0**
3	जयपुर	अलवर	6	2	4	0
		दौसा	2	1	1	0
		जयपुर	6	2	4	0
		झुन्झुनु	6	2	4	0
		सीकर	7	1	4	2
		योग :	**27**	**8 (29.63)**	**17 (62.96)**	**2 (7.41)**
4	जोधपुर	बाड़मेर	3	1	2	0
		जालौर	3	1	–	2
		जोधपुर	3	1	2	0
		पाली	6	2	4	0
		सिरोही	2	1	1	0
		योग :	**17**	**6 (35.29)**	**9 (52.94)**	**2 (11.77)**
5	भरतपुर	भरतपुर	10	4	6	0
		धौलपुर	2	1	1	0
		करौली	3	1	–	2
		स.माधोपुर	2	1	1	0
		योग :	**17**	**7 (41.18)**	**8 (47.06)**	**2 (11.76)**
6	कोटा	कोटा	5	0	2	3
		बून्दी	2	1	1	0
		झालावाड़	5	1	4	0
		बारां	2	1	1	0
		योग :	**14**	**3 (21.43)**	**8 (57.14)**	**3 (21.43)**
		महायोग :	**150**	**51 (34.00)**	**70 (46.67)**	**29 (19.33)**

परिशिष्ट–'क'

वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 (जुलाई 2008) तक की चयनित जिलों की पंचायत समितिवार वित्तीय प्रगति

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिले का नाम मय पं. स.	वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 (जुलाई 08 तक)			
		आवंटित राशि	व्यय राशि	व्यय राशि प्रतिशत	अवशेष राशि
	अजमेर				
1	भिनाय	3.00	3.00	80.00	0.75
2	जवाजा	1.50	–	–	1.50
3	अरांई	6.75	5.25	77.78	1.50
4	मसूदा	0.75	–	–	0.75
5	केकड़ी	2.25	–	–	2.25
6	श्रीनगर	0.75	–	–	0.75
7	पीसांगन	0.75	–	–	0.75
	योग :	**16.50**	**8.25**	**50.00**	**8.25**
	उदयपुर				
1	झाड़ोल	1.50	1.50	100.00	–
2	खेरवाड़ा	1.50	1.50	100.00	–
3	मावली	2.25	2.25	100.00	–
4	सराड़ा	0.75	–	–	0.75
5	धरियावाद	0.75	0.20	26.67	0.55
6	गोगून्दा	0.75	–	–	0.75
7	कोटड़ा	0.75	–	–	0.75
	योग :	**8.25**	**5.45**	**66.06**	**2.80**
	पाली				
1	पाली	1.20	–	–	1.20
2	जैतारण	1.50	1.50	100.00	–
3	बाली	2.10	1.50	71.43	0.60
4	रानी	0.60	–	–	0.60
	योग :	**5.40**	**3.00**	**55.56**	**2.40**
	झुन्झुनु				
1	खेतड़ी	4.50	1.50	33.33	3.00
2	उदयपुरवाटी	1.50	1.50	100.00	–
	योग :	**6.00**	**3.00**	**50.00**	**3.00**
	महायोग :	**36.15**	**19.70**	**54.50**	**16.45**

परिशिष्ट–'ख'

वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 (जुलाई 08) तक की चयनित जिलों की पंचायत समितिवार भौतिक प्रगति

क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	कार्य आरम्भ नहीं
1	अजमेर	भिनाय	3	2	1	–
		जवाजा	1	1	–	–
		अरांई	6	3	3	–
		मसूदा	1	–	–	1
		केकड़ी	3	–	–	3
		श्रीनगर	1	–	–	1
		पीसांगन	1	–	1	–
		योग :	**16**	**6**	**5**	**5**
2	उदयपुर	झाड़ोल	1	1	–	–
		खेरवाड़ा	1	1	–	–
		मावली	2	1	1	–
		सराड़ा	1	–	1	–
		धरियावाद	1	–	1	–
		गोगून्दा	1	–	1	–
		कोटड़ा	1	–	1	–
		योग :	**8**	**3**	**5**	**–**
3	पाली	पाली	2	–	2	–
		जैतारण	1	1	–	–
		बाली	2	1	1	–
		रानी	1	–	1	–
		योग :	**6**	**2**	**4**	**–**
4	झुन्झुनु	खेतड़ी	5	1	4	–
		उदयपुरवाटी	1	1	–	–
		योग :	**6**	**2**	**4**	**–**
		महायोग :	**36**	**13**	**18**	**5**